झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 34 राँची, बुधवार, 28 जनवरी, 2026 (ई०)

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2025

अधिसूचना

10 जनवरी, 2026

अधिसूचना संख्या- 122--

1 विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (जेडडी), (जेडई) और (जेडएफ) के साथ-साथ धारा 61, 62 और 86 में निहित प्रावधानों तथा इस संबंध में आयोग को प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं।

यह विनियम अधिनियम की धारा 61 और 62 में निहित सिद्धांतों से निर्देशित है, जिनका उद्देश्य झारखण्ड राज्य में संचरण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के आर्थिक उपयोग, उत्तम प्रदर्शन और सर्वोत्तम निवेश को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह विनियम बहु वर्षीय शुल्क के निर्धारण हेतु है, जो संचरण लाइसेंसधारियों द्वारा वहनीय युक्तिसंगत व्ययों की वसूली के लिए होगा, ताकि झारखण्ड राज्य के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और सर्वोत्तम संचरण अवसंरचना उपलब्ध कराई जा सके।

अध्याय –।

प्रारूप, विस्तार एवं परिभाषाएँ

A 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम झारखण्ड सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होंगे और 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 की अवधि के लिए लागू रहेंगे। आयोग द्वारा यदि समीक्षा पूर्व में की जाए या अवधि बढ़ाई जाए, तो ऐसे मामलों में ये विनियम 31 मार्च, 2031 तक या विस्तारित अवधि तक लागू रहेंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर लागू होंगे।

1.4 ये विनियम झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010, तथा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क निर्धारण की शर्तें, बहु वर्षीय शुल्क ढांचा) विनियम, 2007 सहित उनके सभी संशोधनों का स्थान लेंगे, यथास्थिति।

[स्पष्टीकरण:- 31 मार्च, 2026 तक की अवधि से संबंधित समस्त प्रयोजनों, जिसमें समीक्षा संबंधी मामले सम्मिलित हैं, के लिए समेकित राजस्व आवश्यकता एवं शुल्क निर्धारण से जुड़े विषय झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2020, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2010, तथा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क निर्धारण की शर्तें, बहु वर्षीय शुल्क ढांचा) विनियम, 2007 तथा इनमें किए गए संशोधन के अनुसार ही नियंत्रित होंगे, जहाँ लागू हो।

A 2. विनियमों का क्षेत्र एवं आवेदन की सीमा

2.1 ये विनियम झारखंड राज्य के अंतर्गत विद्युत के आंतर्राज्यीय संचरण के लिए समेकित राजस्व आवश्यकता और शुल्क निर्धारण के लिए लागू होंगे तथा राज्य के सभी संचरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

2.2 ये विनियम उस स्थिति में लागू होंगे जहाँ आयोग द्वारा लागत-आधारित/समेकित राजस्व आवश्यकता (ARR) आधारित शुल्क निर्धारित किया जाता है:

प्रावधान: यह विनियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से शुल्क निर्धारित किया गया हो।

A 3. परिभाषाएं और व्याख्याएं

3.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा न स्पष्ट हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ होगा -

1. ' **लेखांकन विवरण'** अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए:

(i) तुलन पत्र, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके पूर्ववर्तियों में प्रदत्त प्रारूपों के अनुसार तैयार की गई हो;

(ii) नकदी प्रवाह विवरण, जो भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई हो;

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखा अभिलेख;

(iv) खातों पर टिप्पणियाँ तथा अन्य सहायक विवरण जो वित्तीय विवरणों का भाग हों या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित हों;

(v) लाभ - हानि खाता, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके पूर्ववर्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो;

(vi) वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जिसमें कोई अनुलग्नक एवं परिशिष्ट भी शामिल हों। केंद्रीय आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत जारी की गई दर विनियमों, जिसमें संबंधित वर्ष के लिए बहुवर्षीय दर विनियम (Multi Year Tariff Regulations) भी सम्मिलित हैं, के अनुसार अधिसूचित किसी भी या सभी प्रारूपों में।

(vii) आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी या सभी प्रारूप, जो प्रासंगिक वर्ष से संबंधित दर विनियमन सहित बहुवर्षीय दर विनियमों के लिए लागू हों।

(viii) समायोजन विवरण, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, जिसमें कंपनी के रूप में इकाई के कुल व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देयताओं तथा आयोग द्वारा विनियमित प्रत्येक व्यवसाय और अनियमित व्यवसाय परिचालनों के पृथक व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच सामंजस्य दिखाया गया हो।

2. 'अधिनियम' से आशय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) तथा इसके पश्चात किए गए संशोधनों से है;

3. **'अतिरिक्त पूंजीकरण'** से आशय परियोजना की वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद की वह पूंजीगत व्यय से है, जो किया गया हो एवं पूंजीकृत किया गया हो या पूंजीकृत किया

जाना प्रस्तावित हो, और जिसे विवेकपूर्ण परीक्षण के पश्चात आयोग द्वारा इन विनियमों के प्रावधान 10.13 के अनुसार अनुमोदित किया गया हो;

4. **'संचित राजस्व आवश्यकता'** या 'ए.आर.आर. (ARR)' से आशय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे आवेदन से है, जिसमें लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित व्यय सम्मिलित हों, जो इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित शुल्कों और दरों के रूप में वसूल किए जाने हेतु अनुमेय हों;

5. **'आवंटन विवरण'** से आशय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत संसंचरण लाइसेंसधारी के प्रत्येक व्यवसाय (संसंचरण, एस.एल.डी.सी., अन्य व्यवसाय) के संबंध में ऐसे विवरण से है, जिसमें कोई भी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देयता, आरक्षित निधि या प्रावधान आदि की राशि दर्शाई गई हो, जो या तो

(i) संसंचरण लाइसेंसधारी के विभिन्न व्यवसायों, जिनमें लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय भी शामिल है, के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित की गई हो, साथ में उस विभाजन या आवंटन के आधार का विवरण भी दिया गया हो;या

(ii) प्रत्येक ऐसे अन्य व्यवसाय से या उस पर आरोपित की गई हो, साथ में उस आरोपण के आधार का विवरण भी दिया गया हो।

6. **'आवंटित संचरण क्षमता'** से आशय उस विद्युत स्थानांतरण (मेगावाट में) से है, जो सामान्य परिस्थितियों में राज्य के भीतर की प्रसारण प्रणाली पर निर्दिष्ट प्रवेशनिक बिंदु(ओं) और निर्गमनिक बिंदु(ओं) के बीच एक दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन प्रसारण उपभोक्ता को अनुमत हो, और 'क्षमता का आवंटन' शब्द का अर्थ उसी के अनुरूप समझा जाएगा।

यह उपबंधित है कि दीर्घकालीन प्रसारण उपभोक्ता तथा मध्यमकालीन प्रसारण उपभोक्ता के लिए आवंटित प्रसारण क्षमता क्रमशः उसके लिए आवंटित उत्पादन क्षमताओं के योग के बराबर होगी।

7. **'आवेदक'** से आशय उस संसंचरण लाइसेंसधारी से है, जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार संसंचरण शुल्क के निर्धारण हेतु, या समायोजन (ट्रू-अप) अथवा वार्षिक प्रदर्शन

समीक्षा हेतु याचिका दायर की हो; इसमें वह संसंचरण लाइसेंसधारी भी सम्मिलित है, जिसकी दर (दर) का आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा हो।

8. **'लेखापरीक्षक'** से आशय उस लेखापरीक्षक से है, जिसे संसंचरण लाइसेंसधारी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित) या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य लागू कानून के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

9. **'उपलब्धता'** से अभिप्राय किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान संसंचरण प्रणाली के ऐसे समय (घंटों में) से है, जब संसंचरण प्रणाली विद्युत को अपने घोषित वोल्टेज पर वितरण बिंदु तक प्रेषित करने में सक्षम हो; इसे उस निर्दिष्ट अवधि के कुल घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा।

10. **'बैंक दर'** से आशय भारतीय स्टेट बैंक की समय-समय पर प्रभावी एक वर्ष की सीमांत ऋण लागत दर (एम.सी.एल.आर.) या तत्स्थानीय प्रतिस्थापन दर से है।

11. **'आधार वर्ष'** से आशय वित्तीय वर्ष 2025-26 से है, और इसे इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

12. **'लाभार्थी(यों)'** से आशय उन दीर्घकालीन, मध्यमकालीन या अल्पकालीन संसंचरण उपभोक्ताओं से है, जिनकी दर (दर) का निर्धारण इन विनियमों के अंतर्गत किया जाता है।

13. **'पूंजीगत लागत'** से आशय इन विनियमों के उपबंध 10.4 और 10.9 में परिभाषित पूंजीगत लागत से है।

14. **'सीईआरसी'** या **'केंद्र आयोग'** से आशय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है।

15. **'कानून में परिवर्तन'** से आशय निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के घटित होने से है:]

(i) किसी नए भारतीय विधि का अधिनियमन, प्रवर्तन या अधिसूचना; या

(ii) किसी मौजूदा भारतीय विधि को अपनाना, संशोधन, परिवर्तन, निरसन या पुनः अधिनियमन करना;

(iii) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारतीय शासकीय प्राधिकरण द्वारा किसी भारतीय क़ानून की व्याख्या या उसके अनुप्रयोग में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग के लिए क़ानून के तहत अंतिम प्राधिकारी हो; या

(iv) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन या लाइसेंस की किसी शर्त अथवा अनुबंध में परिवर्तन; या

(v) भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच किसी द्विपक्षीय या बहु पक्षीय समझौते/संधि का लागू होना या उसमें कोई परिवर्तन, जिसका प्रभाव इन विनियमों के अंतर्गत विनियमित संचरण लाइसेंसी पर पड़ता हो।

16. **'आयोग'** से अभिप्राय झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) से है;

17. **'व्यवसाय संचालन विनियमों'** से अभिप्राय JSERC (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 से है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है;

18. **'नियंत्रण अवधि'** से अभिप्राय आयोग द्वारा निर्धारित बहु-वर्षीय अवधि से है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2031 तक होगी;

19. **'कट-ऑफ तिथि'** से अभिप्राय उस वर्ष की 31 मार्च तिथि से है, जो परियोजना के वाणिज्यिक संचालन वर्ष के दो वर्षों के उपरांत समाप्त होती है, और यदि परियोजना को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया हो, तो कट-ऑफ तिथि उस वर्ष की 31 मार्च होगी, जो वाणिज्यिक संचालन वर्ष के तीन वर्षों के उपरांत समाप्त होती है:

यह उपबंधित है कि यदि दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि संचरण लाइसेंसी के नियंत्रण से परे कारणों से पूंजीकरण कट-ऑफ तिथि के भीतर नहीं किया जा सका, तो आयोग द्वारा कट-ऑफ तिथि को बढ़ाया जा सकता है।

20. **'वाणिज्यिक संचालन तिथि'** या 'सी.ओ.डी.' से अभिप्राय उस तिथि से है, जिसे संचरण लाइसेंसी द्वारा घोषित किया गया हो, जिसकी 00:00 बजे से संचरण प्रणाली का कोई तत्व सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के पश्चात नियमित सेवा में हो;

बशर्ते कि उस तिथि से उस तत्व के लिए संचरण शुल्क देय होगा और उसकी उपलब्धता का लेखा किया जाएगा;

यह भी बशर्ते कि यदि संचरण प्रणाली का कोई तत्व नियमित सेवा के लिए तैयार हो लेकिन संचरण लाइसेंसी, उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से ऐसी सेवा प्रदान करने से रोका गया हो, तो आयोग उस तत्व के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक संचालन तिथि को अनुमोदित कर सकता है।

21. **'दिन'** का अर्थ 00:00 बजे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि है;

22. **'डि-कैपिटलाइज़ेशन'** से, इन विनियमों के अंतर्गत दर के प्रयोजन हेतु, आशय परियोजना की सकल स्थिर परिसंपत्तियों में उस परिसंपत्ति के अनुपात में की गई कमी से है जिसे सेवा से बाहर किया गया हो;

23. **'कल्पित संचरण लाइसेंसी'** से आशय उस व्यक्ति/संस्था से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत संचरण लाइसेंसी माना गया हो;

24. **'वितरण लाइसेंसी'** से आशय उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत वितरण लाइसेंस प्रदान किया गया हो, और इसमें कल्पित लाइसेंसी भी सम्मिलित होगा;

25. **'व्ययित व्यय'** से आशय उस निधि से है, चाहे वह इक्विटी हो, ऋण हो या दोनों, जिसे वास्तविक रूप से तैनात किया गया हो और नकद या नकद समतुल्य में भुगतान किया गया हो, किसी उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए, और इसमें वे प्रतिबद्धताएँ या देयताएँ शामिल नहीं होंगी जिनका भुगतान जारी नहीं किया गया है;

26. **'मौजूदा परियोजना'** से आशय उस परियोजना से है जिसे 1 अप्रैल 2026 से पूर्व किसी तिथि पर वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया हो;

27. **'वित्तीय वर्ष'** से आशय उस अवधि से है जो किसी कैलेंडर वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है।

28. **'फोर्स मेज्योर घटना'** से अभिप्राय, किसी भी पक्ष के संबंध में, ऐसी किसी घटना या परिस्थिति या घटनाओं अथवा परिस्थितियों के संयोजन से है जो उस पक्ष के युक्तिसंगत नियंत्रण

में नहीं है और जो उस पक्ष के किसी कार्य या चूक के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, तथा जिसे युक्तिसंगत सावधानी और परिश्रम के प्रयोग से रोका नहीं जा सकता था; और उपर्युक्त के सामान्य अर्थ को सीमित किए बिना, इसमें निम्नलिखित घटनाएँ या परिस्थितियाँ सम्मिलित होंगी:

(i) ईश्वरीय कृत्य, जिनमें, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, बिजली गिरना, तूफान, प्राकृतिक तत्वों की क्रिया, भूकंप, बाढ़, मूसलाधार वर्षा, सूखा और प्राकृतिक आपदा अथवा किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे ईश्वरीय क्रियाएँ, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अवरोध शामिल हैं।

(ii) राज्यव्यापी अथवा विस्तृत प्रभाव वाले हड़ताल और औद्योगिक अशांति, जो किसी संचरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र को प्रभावित करें, परंतु संचरण लाइसेंसधारी के अपने संगठन में होने वाली हड़तालों या औद्योगिक अशांति को छोड़कर;

(iii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का आक्रमण, विद्रोह, दंगा, क्रांति, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई;

(iv) अपरिहार्य दुर्घटना, जिसमें आग, विस्फोट, रेडियोधर्मी प्रदूषण और विषैले रासायनिक प्रदूषण सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं;

(v) ग्रिड का कोई बंद या व्यवधान, जो संबंधित लोड डिस्पैच केंद्र द्वारा आवश्यक या निर्देशित हो;

29. **'ग्रिड कोड'** से अभिप्राय JSERC (ग्रिड कोड) विनियम, 2008 से है, जिसे समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है;

30 **'अन्य व्यवसाय से आय'** से अभिप्राय संचरण लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित व्यवसाय से संबंधित परिसंपत्तियों और/या जनशक्ति के उपयोग के लिए दर के अतिरिक्त प्राप्त की गई आय से है, और इसमें गैर-दर आय सम्मिलित नहीं होगी;

31. **'लाइसेंसधारी'** से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है तथा इसमें अधिनियम के अंतर्गत माने गए लाइसेंसधारी को भी सम्मिलित किया जाएगा;

32. **'लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय'** से अभिप्राय उन कार्यों और गतिविधियों से है जिन्हें आयोग द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार या अधिनियम के अंतर्गत माने गए लाइसेंसधारी के रूप में लाइसेंसधारी द्वारा संपादित किया जाना अपेक्षित है;

33. **'दीर्घकालिक संचरण उपभोक्ता'** से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसके पास तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अंतर/अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली पर अधिकार होता है, जो संचरण शुल्क के भुगतान के आधार पर प्राप्त होता है, और किसी वितरण लाइसेंसधारी को अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक उपभोक्ता होना होगा, जिसके लिए उसे संचरण लाइसेंसधारी के साथ उपयुक्त समझौता करना आवश्यक होगा;

34. **'मध्यकालिक संचरण उपभोक्ता'** से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके पास तीन माह से अधिक और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अंतर/अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली पर अधिकार होता है, जो संचरण शुल्क के भुगतान के आधार पर प्राप्त होता है;

35. **'गैर-शुल्क आय'** से अभिप्राय लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित ऐसी शुद्ध आय से है जो दर (राज्य के भीतर विद्युत के संचरण) से प्राप्त नहीं होती, जिसमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, कबाड़ की बिक्री से प्राप्त लाभ, भूमि या भवन का किराया, निवेशों से आय, विविध प्राप्तियां आदि सम्मिलित होंगी;

36. **'अन्य व्यवसाय'** से अभिप्राय अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उसके परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु संचरण लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई अन्य व्यवसाय है;

37. **'ओपन एक्सेस उपभोक्ता'** से अभिप्राय किसी ऐसे लाइसेंसधारी, उपभोक्ता, खरीदार या जनरेटर से है, जिसे JSERC (राज्य के भीतर ओपन एक्सेस की शर्तें और नियम) विनियम, 2016 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किए जाने पर, ओपन एक्सेस प्रदान किया गया हो;

38. **'संचालन और अनुरक्षण व्यय'** या 'O&M व्यय' से अभिप्राय परियोजना या उसके किसी भाग के संचालन और अनुरक्षण हेतु किए गए व्यय से है, जिसमें जनशक्ति, मरम्मत और अनुरक्षण, स्पेयर, उपभोग्य सामग्री, बीमा तथा अन्य अधिभारों पर किया गया व्यय सम्मिलित है;

39. **'मूल परियोजना लागत'** से अभिप्राय संचरण लाइसेंसधारी द्वारा परियोजना के मूल दायरे के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि तक किए गए पूंजीगत व्यय से है, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

40. **'परियोजना'** से अभिप्राय संचरण प्रणाली से है;

41. **'सावधानी जांच'** से अभिप्राय किसी भी व्यय या लागत की युक्तिसंगतता की जांच से है, जो संचरण लाइसेंसधारी द्वारा इन विनियमों के अनुसार किया गया हो या किए जाने का प्रस्तावित हो;

42. **'मूल्यांकित वोल्टेज'** से अभिप्राय निर्माता द्वारा निर्धारित उस डिजाइन वोल्टेज से है जिस पर संचरण प्रणाली को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तथा इसमें वह कम वोल्टेज भी सम्मिलित है जिस पर किसी संचरण लाइन को दीर्घकालिक संचरण उपभोक्ताओं के परामर्श से चार्ज किया गया हो या अस्थायी रूप से चार्ज हो;

43. **'निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि'** या 'SCOD' से अभिप्राय संचरण प्रणाली या उसके किसी अवयव तथा संबंधित संचार प्रणाली की वाणिज्यिक परिचालन की तिथि(यों) से है, जैसा कि निवेश स्वीकृति में उल्लिखित हो या संचरण सेवा समझौते में सहमति की गई हो, जो भी पहले हो;

44. **'अल्पकालिक संचरण उपभोक्ता'** से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके पास तीन माह तक की अवधि के लिए अंतर/अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली पर अधिकार होता है, जो संचरण शुल्क के भुगतान के आधार पर प्राप्त होता है;

45. **'प्रारंभ तिथि'** या **'शून्य तिथि'** से अभिप्राय उस तिथि से है, जो निवेश स्वीकृति में परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ हेतु निर्दिष्ट की गई हो, और जहाँ ऐसी कोई तिथि निर्दिष्ट न की गई हो, वहाँ निवेश स्वीकृति की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

46. **'राज्य'** से अभिप्राय झारखण्ड राज्य से है;

47. **'राज्य लोड डिस्पैच केंद्र'** या 'SLDC' से अभिप्राय उस केंद्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु स्थापित किया गया है;

48. **'वैधानिक प्रभार'** से अभिप्राय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों या भारत सरकार की किसी निकाय द्वारा संबंधित क़ानूनों के अंतर्गत लगाए गए कर, उपकर, शुल्क, रॉयल्टी तथा अन्य प्रभारों से है;

49. **'शुल्क अवधि'** से अभिप्राय वह अवधि है, जो 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की है, जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत दर निर्धारित किया जाता है;

50. **'संचरण व्यवसाय'** से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत संचरण लाइसेंसधारी किसी लाभार्थी तथा अनुमत ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को विद्युत का संसंचरण करता है;

51. **'संचरण लाइसेंसधारी'** से अभिप्राय उस लाइसेंसधारी से है जिसे राज्य के भीतर संचरण लाइनों की स्थापना या संचालन के लिए अधिकृत किया गया है;

52. **'संचरण सेवा समझौता'** से अभिप्राय उस अनुबंध, समझौते, समझौता ज्ञापन या किसी अन्य प्रतिज्ञा से है जो संचरण लाइसेंसधारी और दीर्घकालिक संचरण उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के बीच संचरण प्रणाली के उपयोग हेतु किया गया हो;

53. **'संचरण प्रणाली'** से अभिप्राय एक लाइन या लाइनों के समूह से है, जिसमें संबंधित उपकेंद्र, संचरण लाइनों और उपकेंद्रों से जुड़े उपकरण, जो निवेश स्वीकृति के अनुसार योजना के अंतर्गत पहचाने गए हों, सम्मिलित हैं, तथा इसमें संबंधित संचार प्रणाली भी सम्मिलित होगी;

54. **'संचरण प्रणाली उपलब्धता कारक'** से अभिप्राय संचरण प्रणाली की उपलब्धता से है, जिसे राज्य लोड डिस्पैच केंद्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो;

55. **'उपयोगी जीवन'** से अभिप्राय संचरण प्रणाली की किसी इकाई के वाणिज्यिक परिचालन तिथि (COD) से संबंधित जीवनकाल से है, जो उपकेंद्र के लिए 25 वर्ष, संचार प्रणाली के लिए 15 वर्ष तथा संचरण लाइन के लिए 35 वर्ष होगा;

56. **'वर्ष'** से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है;

3.1 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जिनकी यहाँ परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ ही प्रदान किया जाएगा।

3.2 किसी अधिनियम, नियम या विनियम का संदर्भ उसके किसी उपरांत संशोधन, समेकन या पुनः अधिनियमन को भी सम्मिलित करेगा।

3.3 इन विनियमों के अंतर्गत सभी कार्यवाही JSERC (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 द्वारा संचालित की जाएगी, जिसे समय-समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है।

A 4. संचालन के मानक सीमा मानक होंगे

4.1 संशय निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों में निर्दिष्ट संचालन के मानक सीमा मानक हैं, तथा यह संचरण लाइसेंसधारी और लाभार्थियों को बेहतर संचालन मानकों पर सहमति करने से नहीं रोकता है, और ऐसी स्थिति में बेहतर संचालन मानक दर निर्धारण हेतु लागू होंगे।

अध्याय – II :

बहु वर्षीय शुल्क (MYT) हेतु दर रूपरेखा एवं मार्गदर्शक सिद्धांत

क 5. एमवाईटी रूपरेखा

5.1 एमवाईटी रूपरेखा 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होगी और जब तक आयोग द्वारा पहले समीक्षा या विस्तार न किया जाए, तब तक 31 मार्च, 2031 तक लागू रहेगी। नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) आवेदन इन विनियमों में निहित एमवाईटी रूपरेखा के अनुसार किए जाएंगे।

5.2 संचरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की धारा A 24 में निर्दिष्ट समयानुसार सहायक दस्तावेजों के साथ एमवाईटी आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5.3 एमवाईटी आवेदन में एआरआर एवं उसका विभाजन, पूर्व नियंत्रण अवधि के वर्षों के लिए ऑडिटेड खातों के आधार पर (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25), बेस वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 का संशोधित अनुमान तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रक्षेपण सम्मिलित होंगे।

5.4 एमवाईटी रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत इन विनियमों की धारा A 6 में वर्णित हैं।

5.5 नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर निर्धारण के सिद्धांत इन विनियमों के अध्याय III में वर्णित हैं तथा वार्षिक आवेदन की प्रक्रिया नियंत्रण अवधि के दौरान अध्याय IV में दी गई है।

6क. एमवाईटी रूपरेखा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

6.1 आयोग एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) तथा दर एवं शुल्क से प्राप्त अपेक्षित राजस्व की स्वीकृति के लिए बहु वर्षीय दर रूपरेखा को अपनाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एआरआर और दर निर्धारित किए जाएंगे।

6.2 बहु वर्षीय शुल्क रूपरेखा निम्नलिखित पर आधारित होगी:

(क) संचरण लाइसेंसधारी की संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना, जिसे एमवाईटी याचिका के साथ आयोग के अनुमोदन हेतु नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचरण प्रणाली या नेटवर्क उपयोग का पूर्वानुमान, जो व्यवसाय योजना के अनुरूप होगा;

(ग) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचरण दर संरचना के प्रस्ताव, जिसमें वसूल किए जाने वाले हानियों (लॉसेज़) तथा उनकी प्रक्रिया का विवरण शामिल होगा;

(घ) संचरण लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) का पूर्वानुमान, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचरण दर, जो इन विनियमों में निर्दिष्ट वित्तीय और परिचालन मापदंडों की यथोचित मान्यताओं तथा व्यवसाय योजना के आधार पर होगा;

(ङ) विशिष्ट मापदंडों के लिए प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से सुधार सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा एक प्रगति-पथ (ट्रैजेक्टरी) निर्धारित की जाएगी;

(च) अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना में वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी और प्रदर्शन में अंतर को नियंत्रित तथा अनियंत्रित कारकों में वर्गीकृत किया जाएगा; और

(छ) नियंत्रित एवं अनियंत्रित कारकों के कारण उत्पन्न अनुमोदित लाभ या हानि को साझा करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

आधार रेखा का निर्धारण

6.3 नियंत्रण अवधि के बेस ईयर (आधार वर्ष) के लिए मान वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के उपलब्ध ऑडिटेड खातों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। यदि किसी वर्ष के ऑडिटेड खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो आयोग, उचित

विवेकपूर्ण जांच करने और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद, ऐसे वर्षों के लिए सर्वोत्तम अनुमान पर विचार कर सकता है।

6.4 आयोग सामान्यतः नियंत्रण अवधि के दौरान प्रदर्शन लक्ष्यों में संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि आयोग यह न माने कि अनुमोदित संख्याओं और वास्तविक परिणामों में पर्याप्त अंतर है।

II व्यवसाय योजना

6.5 संचरण लाइसेंसधारी, इन विनियमों की धारा A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वीकृत व्यवसाय योजना को आयोग की मंजूरी हेतु प्रस्तुत करेगा।

6.6 व्यवसाय योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए होगी और इसमें, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) पूंजी निवेश योजना: यह प्रस्तावित भार वृद्धि और व्यवसाय योजना में प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार के अनुरूप होनी चाहिए। पूंजी निवेश योजना में संबंधित पूंजीकरण अनुसूची एवं वित्तीय योजना भी सम्मिलित होनी चाहिए।

संचरण लाइसेंसधारी पूंजी निवेश योजना के भाग के रूप में योजना-वार पूंजी संरचना तथा वित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याज), इक्विटी पर प्रतिफल, अनुदान, जमा कार्य (डिपॉजिट वर्क्स) तथा प्रचलित ऋण समझौतों की शर्तें आदि भी प्रस्तुत करेगा;

(ख) परिचालन योजना: पिछली नियंत्रण अवधि में वास्तविक वार्षिक संचरण हानि तथा आगामी नियंत्रण अवधि के लिए वर्षवार संचरण हानि का प्रक्षेपण;

(ग) मानव संसाधन योजना: नियंत्रण अवधि के दौरान मांग में वृद्धि को पूरा करने हेतु अनुमानित वर्षवार जनशक्ति वृद्धि एवं सेवानिवृत्तियों का विवरण सहित मानव संसाधन नियोजन;

(घ) लक्ष्य प्रदर्शन: अन्य नियंत्रणीय मदों के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का एक सेट, जैसे संचरण प्रणाली उपलब्धता, संचरण हानियाँ, इक्विटी पर प्रतिफल, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, प्रदर्शन लक्ष्य, कर्मचारी व्यय, आर एंड एम तथा ए एंड जी व्यय आदि, विस्तृत विभाजन तथा विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों और अन्य घटकों के पूर्वानुमान तैयार करने में प्रयुक्त किसी भी अन्य जानकारी सहित।

ये लक्ष्य संचरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप होंगे।

(ङ) गैर-शुल्क आय: गैर-शुल्क आय से संबंधित प्रस्ताव, मद-वार विवरण तथा स्पष्टीकरण सहित;

(च) अन्य व्यवसाय से आय: अन्य व्यवसाय से आय से संबंधित प्रस्ताव; और

(छ) व्यवसाय योजना में पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक जानकारी भी सम्मिलित होगी:

यह प्रावधान किया जाता है कि पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक जानकारी में वर्षवार ऑडिटेड डेटा शामिल होगा, जिसमें योजना-वार पूंजी निवेश, क्षमता वृद्धि योजना (यदि कोई हो), प्रस्तावित दक्षता सुधार तथा उसका लागत-लाभ विश्लेषण, गुणवत्ता सुधार उपाय, कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय तथा ए एंड जी व्यय संबंधित विस्तृत विवरण के साथ, और उन सभी अन्य जानकारियों को सम्मिलित किया जाएगा जिनका उपयोग विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों एवं अन्य घटकों के पूर्वानुमान तैयार करने में किया गया है।

पूंजी निवेश योजना

6.7 संचरण लाइसेंसधारी संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना को आयोग की स्वीकृति हेतु व्यवसाय योजना के साथ प्रस्तुत करेगा, जो ग्रिड कोड में

निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप तैयार की जाएगी। पूंजी निवेश योजना को योजना-वार तैयार किया जाएगा और प्रत्येक योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. निवेश का उद्देश्य (जैसे – मौजूदा परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, भार वृद्धि की पूर्ति, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आदि);

2. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति;

3. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं लोड फ्लो विश्लेषण;

4. पूंजी संरचना;

5. पूंजीकरण अनुसूची;

6. कार्यान्वयन कार्यक्रम जिसमें समयसीमा भी सम्मिलित हो;

7. लागत-लाभ विश्लेषण एवं दर की यथोचितता;

8. नियंत्रण अवधि में अनुमानित परिचालन दक्षता में सुधार;

9. चल रही योजनाएँ जो समीक्षा के अधीन वर्ष में आगे जारी रहेंगी, उनके औचित्य सहित;

10. वे नई योजनाएँ जो नियंत्रण अवधि के दौरान प्रारंभ होंगी और नियंत्रण अवधि के भीतर या उसके बाद पूर्ण हो सकती हैं।

6.8 आयोग, नियंत्रण अवधि के दौरान भार वृद्धि के पूर्वानुमान के आधार पर, संचरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत प्रणाली संवर्द्धन योजना को अनुमोदित करेगा। इसे एआरआर की गणना के लिए विचार किया जाएगा, जिसमें संचरण प्रणाली द्वारा संचारित की जाने वाली विद्युत की मात्रा का अनुमान, लाभार्थियों की अनुमानित वृद्धि योजना और राज्य के भीतर नेटवर्क विस्तार योजनाओं के आधार पर किसी भी नई संचरण प्रणाली की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

6.9 पूंजी निवेश योजना सीईए/सीटीयू द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा वितरण लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों की पूंजी निवेश योजनाओं के अनुरूप होगी और इसे ग्रिड कोड में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विकसित किया जाएगा।

6.10 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान, आयोग अनुमोदित पूंजी व्यय की तुलना में संचरण लाइसेंसधारी द्वारा वास्तविक रूप से किए गए वर्षवार पूंजी व्यय की प्रगति की निगरानी करेगा। संचरण लाइसेंसधारी वास्तविक पूंजी व्यय का विवरण वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे।

6.11 आयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक पूंजीकरण की तुलना अनुमोदित पूंजीकरण अनुसूची से करेगा और जिस वर्ष के लिए ट्रू-अप दायर किया गया है, उसके लिए वास्तविक पूंजीकरण के आधार पर एआरआर का ट्रू-अप करेगा और उस वर्ष के एआरआर घटकों का भी, जिसके लिए एपीआर और दर की मांग की गई है।

6.12 यदि पूंजी व्यय आपातकालीन कार्य के लिए आवश्यक है, जो पूंजी निवेश योजना में अनुमोदित नहीं है, तो संचरण लाइसेंसधारी आयोग की स्वीकृति हेतु, प्रस्तावित कार्य के आपातकालीन स्वरूप को न्यायसंगत ठहराते हुए सभी प्रासंगिक जानकारी सहित एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

यह प्रावधान किया जाता है कि यदि पूंजी व्यय आपातकालीन कार्य या जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरे को कम करने हेतु किसी अप्रत्याशित स्थिति में आवश्यक हो और आयोग को पूर्व सूचना देने से अपूरणीय हानि या क्षति होने की संभावना हो, तो संचरण लाइसेंसधारी ऐसा पूंजी व्यय कर सकता है। तत्पश्चात, वह सभी प्रासंगिक विवरणों सहित अगली दर याचिका के साथ आयोग से पश्च स्वीकृति (पोस्ट-फैक्टो अप्रूवल) प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय मापदंड

6.13 'नियंत्रणीय मापदंड' में वे मापदंड सम्मिलित होंगे, जिन पर आवेदक का नियंत्रण होता है और जो उसके प्रति उत्तरदायी हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु सीमित नहीं हैं:

(क) संचरण प्रणाली उपलब्धता
(ख) संचरण हानियाँ
(ग) पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजीकरण
(घ) ब्याज और वित्तीय प्रभार
(ङ) इक्विटी पर प्रतिफल
(च) मूल्यह्रास
(छ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज
(ज) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

6.14 'अनियंत्रणीय मापदंड' में वे कारक सम्मिलित होंगे, जो आवेदक के नियंत्रण से बाहर हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु सीमित नहीं हैं:

(क) कर्मचारियों की अंतिम देयताएँ

(ख) विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

(ग) कर एवं शुल्क

(घ) गैर-दर आय एवं अन्य व्यवसाय से आय

6.15 अनियंत्रणीय मापदंडों के कारण उत्पन्न भिन्नताओं को उपभोक्ताओं पर आरोपित करने योग्य 'पास थ्रू' के रूप में माना जाएगा, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच और स्वीकृति के अधीन होगी।

6.16 आयोग, संचरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक मूल्यों के आधार पर तथा उनके सत्यापन एवं अनुमोदन के पश्चात, फोर्स मेज्योर घटनाओं और 'कानून में परिवर्तन' (चेंज इन लॉ) की घटनाओं के कारण नियंत्रणीय मदों में हुई भिन्नताओं को एआरआर में 'पास थ्रू' के रूप में अनुमति प्रदान करेगा।

6.17 आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियंत्रणीय मापदंडों से हुए विचलन पर प्रोत्साहन एवं दंड की रूपरेखा लागू होगी, जिसका विवरण आगे के खंड में दिया गया है।

प्रोत्साहन एवं दंड की रूपरेखा

6.18 संचरण लाइसेंसधारी द्वारा ऋणों के पुनर्वित्त (रीफाइनेंसिंग) से हुई समग्र बचत उपयोगकर्ताओं एवं संचरण लाइसेंसधारी के बीच 50:50 के अनुपात में साझा की जाएगी।

6.19 संचरण लाइसेंसधारी के परिचालन एवं अनुरक्षण व्ययों से उत्पन्न वित्तीय लाभ ट्रू-अप के समय संचरण लाइसेंसधारी एवं लाभार्थियों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किए जाएंगे।

6.20 संचरण लाइसेंसधारी को वार्षिक उपलब्धता लक्ष्य से अधिक उपलब्धता प्राप्त करने पर इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6.21 यदि नियंत्रणीय मापदंडों के संदर्भ में अपेक्षित प्रदर्शन से कम प्रदर्शन के कारण कोई हानि होती है, तो संचरण लाइसेंसधारी पूर्ण रूप से उस हानि का वहन करेगा और उसका कोई भी भाग संचरण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

क 7. ट्रूइंग-अप

7.1 संचरण लाइसेंसधारी ट्रूइंग-अप के आवेदन के साथ पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजीकरण, ट्रांसफ़ॉर्मेशन एवं संचरण हानियाँ, वित्तपोषण के स्रोत, मूल्यह्रास, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो सहित देय ब्याज, इक्विटी पर प्रतिफल, कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तन तथा एआरआर के अन्य घटकों का विवरण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, वार्षिक लेखा परीक्षित खातों के आधार पर, धारा A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

7.2 यदि ट्रूइंग-अप के उपरांत वसूल की गई राजस्व राशि, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर से अधिक होती है, तो संचरण लाइसेंसधारी, विनियमों के खंड 7.4 में निर्दिष्ट अनुसार, अधिक प्राप्त राशि लाभार्थियों को लौटाएगा।

7.3 यदि ट्रूइंग-अप के उपरांत वसूल की गई राजस्व राशि, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर से कम होती है, तो संचरण लाइसेंसधारी, विनियमों के खंड 7.4 के अनुसार, लाभार्थियों से यह अंतर राशि वसूल करेगा।

7.4 वसूल की गई या अधिवसूलित (ओवर-रिकवर्ड) राशि, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को लागू बैंक दर में 200 बेसिस प्वाइंट जोड़कर प्राप्त साधारण ब्याज सहित, संचरण लाइसेंसधारी द्वारा आयोग द्वारा जारी दर आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर प्रारंभ करते हुए छह समान मासिक किश्तों में वसूल या लौटाई जाएगी।

यह प्रावधान किया जाता है कि यदि संचरण लाइसेंसधारी धारा A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार याचिका प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो शेष वसूल हेतु अंतर पर विलंब अवधि के लिए वहन लागत (कैरीइंग कॉस्ट) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि संचरण लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की त्रुटि के कारण अनियंत्रणीय मदों में परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की अनुमति ट्रूइंग-अप में नहीं दी जाएगी।

A 8. वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर)

8.1 संचरण लाइसेंसधारी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा हेतु एपीआर याचिका, पूंजी व्यय, अतिरिक्त पूंजीकरण, वित्तपोषण के स्रोत, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो सहित देय ब्याज तथा समीक्षा के अधीन वर्ष के लिए उपार्जित/अनुमानित एआरआर के अन्य घटकों का विवरण सहित, इन विनियमों की धारा A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

8.2 संचरण लाइसेंसधारी, वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा याचिका के साथ, पूर्व वर्ष/वर्षों के ट्रूइंग-अप एवं वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर अगले वर्ष हेतु संशोधित एआरआर का दावा करेगा।

8.3 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का दायरा, अनुमोदित व्ययों की तुलना संशोधित अनुमानों से करना होगा और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शन लक्ष्यों की तुलना संशोधित अनुमानों से;

(ख) संचरण लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध नवीनतम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुमोदित पूंजी व्यय तथा पूंजीकरण की तुलना संशोधित अनुमानों से।

(ग) आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य व्ययों की तुलना, जैसे ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, इक्विटी पर प्रतिफल, मूल्यह्रास तथा परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, संचरण लाइसेंसधारी के नवीनतम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तैयार संशोधित अनुमानों से;

(घ) नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभ एवं हानि के साझेदारी की गणना;

(ङ) नवीनतम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अनुमोदित राजस्व और संशोधित अनुमानों की तुलना;

(च) अन्य कोई व्यय/राजस्व जो एआरआर को प्रभावित करता हो।

8.4 यदि संचरण लाइसेंसधारी को पूर्व में अज्ञात या अनुपलब्ध अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान तैयार किया गया था, तो वह वार्षिक

प्रदर्शन समीक्षा के भाग के रूप में अनुमोदित एआरआर पूर्वानुमान में संशोधन हेतु आवेदन कर सकता है।

8.5 यदि आयोग को ऐसी कोई नई जानकारी प्राप्त होती है, जो पूर्वानुमान तैयार करने के समय ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, और आयोग यह मानता है कि इससे अधिक या कम वसूली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तो आयोग स्वतः संज्ञान या किसी संबंधित अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए अनुमोदित एआरआर पूर्वानुमान में संशोधन कर सकता है।

8.6 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा एवं ट्रूइंग-अप के विश्लेषण के आधार पर आयोग, आगामी वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और दर में संशोधन करेगा।

अध्याय – III :

एआरआर का निर्धारण

A 9. ट्रू-अप, एपीआर तथा एआरआर और दर निर्धारण हेतु विवरण

9.1 संचरण लाइसेंसधारी, पिछली वर्ष के लिए ट्रू-अप, वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा तथा आगामी वर्ष के लिए दर निर्धारण का विवरण, आगे की धाराओं में वर्णित सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

A 10. एआरआर निर्धारण के सिद्धांत

10.1 संचरण व्यवसाय की राजस्व आवश्यकता का उपयोग, गैर-भेदभावपूर्ण संचरण शुल्क निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

10.2 जब तक संचरण व्यवसाय और एसएलडीसी (स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर) गतिविधि के बीच लेखों का पूर्ण पृथक्करण नहीं हो जाता, प्रत्येक व्यवसाय के एआरआर को संचरण लाइसेंसधारी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक आबंटन विवरण (एलोकेशन स्टेटमेंट) द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसमें सभी लागतों, राजस्व, परिसंपत्तियों, देयताओं, आरक्षित निधियों एवं प्रावधानों का विभाजन संचरण व्यवसाय, एसएलडीसी गतिविधि और लाइसेंसधारी के किसी अन्य व्यवसाय के बीच स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

आबंटन विवरण में विभिन्न व्यवसायों के मध्य विभाजन हेतु अपनाई गई पद्धति का वर्णन भी सम्मिलित होगा।

नियंत्रण अवधि के दौरान संचरण व्यवसाय के लिए एआरआर की गणना

10.3 लाइसेंसधारी के संचरण व्यवसाय के लिए समष्टि राजस्व आवश्यकता (एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट - एआरआर) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए निम्नलिखित मदों से मिलकर बनेगी:

(क) परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(ख) इक्विटी पर प्रतिफल;

(ग) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(घ) ऋण पर ब्याज;

(ङ) सुरक्षा जमा पर ब्याज (यदि कोई हो);

(च) मूल्यह्रास;

(छ) आयकर;

(ज) लीज (पट्टा) शुल्क;

(झ) विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव;

(ञ) घटाएँ: गैर-शुल्क आय;

(ट) घटाएँ: अन्य व्यवसाय से आय।

पूंजीगत लागत

10.4 आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत शुल्क निर्धारण के लिए आधार बनेगी:

यह उपबंधित किया जाता है कि जहाँ आयोग ने किसी योजना की अनुमानित पूंजीगत लागत तथा वित्तपोषण योजना को 'सिद्धांततः' स्वीकृति प्रदान की हो, वहाँ वास्तविक पूंजीगत व्यय पर विवेकपूर्ण परीक्षण करते समय वही मार्गदर्शक तत्व के रूप में प्रयुक्त होगा:

यह भी उपबंधित किया जाता है कि मौजूदा योजनाओं के मामले में, 1 अप्रैल 2026 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत लागत तथा नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सके, को पूंजीगत लागत निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा।

यह भी उपबंधित किया जाता है कि समय/लागत में वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि केवल तभी अनुमन्य होगी जब प्रसारण लाइसेंसधारी उपयुक्त दस्तावेजों और तथ्यों के समर्थन सहित आयोग को यह संतोषपूर्वक स्थापित कर सके कि विलंब अनियंत्रणीय कारणों से हुआ था और वह प्रसारण लाइसेंसधारी के कारण नहीं था।

10.5 शुल्क निर्धारण के प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा अनुमत की जाने वाली पूंजीगत लागत, प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की गई तथा आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी निवेश योजना पर आधारित होगी।

10.6 लाभार्थियों, वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं, पूंजीगत सब्सिडी तथा अनुदानों द्वारा प्रसारण लाइसेंसधारी की प्रसारण प्रणाली से संयोजन हेतु कार्य के लिए किए गए किसी भी प्रकार के योगदान की राशि को, इन विनियमों के अंतर्गत ऋण और इक्विटी के अंतर्गत राशि की गणना के प्रयोजन से, योजना की मूल लागत से घटाया जाएगा।

10.7 इसके अतिरिक्त, यदि ऐसी लागत किसी मौजूदा परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन या उन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु की गई हो, तो प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की मूल लागत को घटाकर पूंजीगत लागत से अपभूतिकृत (de-capitalized) किया जाएगा।

10.8 प्रसारण लाइसेंसधारी की पूंजीगत लागत में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे:

(क) कार्य के मूल स्वरुप पर किए गए या किए जाने वाले व्यय, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान का ब्याज तथा वित्तपोषण शुल्क, निर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के कारण होने वाला कोई लाभ या हानि, तथा योजना के व्यावसायिक संचालन की तिथि तक वास्तविक ऋण से संबंधित व्यय शामिल है, जिन्हें आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत स्वीकृत किया गया हो; ये शुल्क निर्धारण के लिए आधार प्रदान करेंगे।

(ख) निर्माण अवधि के दौरान का ब्याज (IDC) तथा वास्तविक रूप से लिए गए ऋणों पर वित्तपोषण शुल्क:

(i) निर्माण अवधि के दौरान का ब्याज (IDC) ऋण निधि के निवेश की तिथि से लेकर प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) तक, निधियों के सतर्क चरणबद्ध उपयोग को ध्यान में रखते हुए ऋण के अनुसार गणना किया जाएगा।

(ii) यदि प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) प्राप्त करने में हुई देरी के कारण IDC में अतिरिक्त लागत आती है, तो प्रसारण लाइसेंसधारी को ऐसी देरी के संबंध में विस्तृत औचित्य सहित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें निधियों के सतर्क चरणबद्ध उपयोग का विवरण भी सम्मिलित होगा:

यह उपबंधित किया जाता है कि यदि देरी प्रसारण लाइसेंसधारी के कारण नहीं हुई है और इन विनियमों के विनियमन 6.14 में निर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुई है, तो विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत IDC अनुमन्य किया जा सकता है:

यह भी उपबंधित किया जाता है कि यदि वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त करने में हुई देरी पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रसारण लाइसेंसधारी अथवा उसके ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी के कारण हुई है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) के बाद की अवधि से संबंधित IDC को विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत पूर्णतः या आंशिक रूप से (प्रमाणिक रूप से, समानुपातिक आधार पर) अस्वीकृत किया जा सकता है, जो मंज़ूर न की गई देरी की अवधि के अनुरूप होगा, तथा यदि किसी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेंसी से कोई द्रवित क्षतिपूर्ति (liquidated damages) प्राप्त की गई हो, तो उसे प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा ही सुरक्षित रखा जाएगा।

(ग) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC), जो इन विनियमों के अनुसार गणना किया जाएगा:

(i) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) की गणना शून्य तिथि (zero date) से की जाएगी और इसमें प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) तक के पूर्व-परिचालन व्यय को ध्यान में रखा जाएगा:

यह उपबंधित किया जाता है कि निर्माण अवधि के दौरान SCOD तक अर्जित किसी भी राजस्व, जैसे जमाओं या अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज या अन्य किसी भी प्रकार की प्राप्तियां, को निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय में कमी हेतु समायोजित किया जा सकता है।

(ii) यदि प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) प्राप्त करने में हुई देरी के कारण IEDC में अतिरिक्त लागत आती है, तो प्रसारण लाइसेंसधारी को ऐसी देरी के संबंध में विस्तृत औचित्य सहित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें देरी की अवधि के दौरान हुए आकस्मिक व्ययों तथा उस अवधि से संबंधित द्रवित क्षतिपूर्ति (liquidated damages) की प्राप्तियां या प्राप्त करने योग्य राशि का विवरण सम्मिलित होगा।

यह उपबंधित किया जाता है कि यदि देरी प्रसारण लाइसेंसधारी के कारण नहीं हुई है और यह विनियमन 6.14 में निर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुई है, तो विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत निर्माण अवधि के दौरान का आकस्मिक व्यय (IEDC) अनुमन्य किया जा सकता है:

यह भी उपबंधित किया जाता है कि जहाँ देरी प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी, ठेकेदार या आपूर्ति कर्ता के कारण हुई हो, वहाँ ऐसी एजेंसी, ठेकेदार या आपूर्ति कर्ता से प्राप्त की गई द्रवित क्षतिपूर्ति (liquidated damages) को पूंजीगत लागत की गणना में सम्मिलित किया जाएगा:

(iii) यदि वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) प्राप्त करने में हुई देरी पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रसारण लाइसेंसधारी अथवा उसके ठेकेदार, आपूर्ति कर्ता या एजेंसी के कारण हुई है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावित वाणिज्यिक संचालन तिथि (SCOD) के बाद की अवधि से संबंधित आकस्मिक व्यय (IEDC) को विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत पूर्णतः या आंशिक रूप से (प्रमाणिक रूप से, pro-rata basis पर) अस्वीकृत किया जा सकता है, जो अस्वीकार्य देरी की

अवधि के अनुरूप होगा, तथा यदि किसी ठेकेदार, आपूर्ति कर्ता या एजेंसी से कोई द्रवित क्षतिपूर्ति (liquidated damages) प्राप्त की गई हो, तो उसे प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा ही सुरक्षित रखा जाएगा।

(घ) संयंत्र एवं मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में नीचे दिए गए सीमा मानदंडों के अंतर्गत पूंजीकृत प्रारंभिक स्पेयर (capitalized initial spares):

i. प्रसारण लाइन – 1.00%

ii. प्रसारण उपकेंद्र (ग्रीन फील्ड) – 4.00%

iii. प्रसारण उपकेंद्र (ब्राउन फील्ड) – 6.00%

iv. श्रृंखला प्रतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation Devices) एवं HVDC स्टेशन – 4.00%

v. गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र (ग्रीन फील्ड) – 5.00%

vi. गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र (ब्राउन फील्ड) – 7.00%

vii. संचार प्रणाली – 3.50%

viii. स्थिर समकालिक प्रतिपूर्ति (Static Synchronous Compensation) – 6.00%:

यह उपबंधित किया जाता है कि संयंत्र एवं मशीनरी लागत को मूल परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा, जिसमें निर्माण अवधि के ब्याज (IDC), निर्माण अवधि के आकस्मिक व्यय (IEDC), भूमि लागत तथा सिविल कार्यों की लागत सम्मिलित नहीं होगी। संयंत्र एवं मशीनरी लागत का आकलन करने के प्रयोजन से प्रसारण लाइसेंसधारी को अपने शुल्क आवेदन में शीर्ष-वार IDC और IEDC का विभाजन प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) इन विनियमों के विनियमन 10.13 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय:

यह उपबंधित किया जाता है कि परियोजना का वह अंश जो परिसंपत्तियों के रूप में मौजूद तो है परंतु उपयोग में नहीं है, उसे पूंजीगत लागत से बाहर किया जाएगा।

(च) यदि किसी परिसंपत्ति का प्रतिस्थापन किया गया है, तो ऐसी परिसंपत्तियों का मूल मूल्य अपभूतिकृत (de-capitalised) किया जाएगा तथा उस वर्ष हेतु स्वीकृत पूंजीकरण से घटाया जाएगा।

10.9 निम्नलिखित को मौजूदा एवं नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा:

(क) परियोजना का वह अंश जो परिसंपत्तियों के रूप में मौजूदा है परन्तु उपयोग में नहीं है;

(ख) वे परिसंपत्तियाँ जो वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात प्रतिस्थापन या अप्रचलन (obsolescence) के कारण अपभूतिकृत (de-capitalised) की गई हों।

नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक

10.10 परियोजना की समयावधि में विलंब, लागत वृद्धि, निर्माण अवधि के दौरान का ब्याज (IDC) तथा निर्माण अवधि के दौरान का आकस्मिक व्यय (IEDC) निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक के रूप में माना जाएगा।

10.11 "नियंत्रणीय कारकों (Controllable Factors)" में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:

1. ऐसी परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता, जिसमें स्वीकृत कार्य-परिधि में परिवर्तन, वैधानिक उपकरों में परिवर्तन, विधि में परिवर्तन या दैवी आपदा सम्मिलित न हों; और

2. ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता अथवा प्रसारण लाइसेंसधारी की किसी एजेंसी के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में हुई देरी, सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसी देरी अनियंत्रणीय कारकों के कारण हुई हो।

10.12 "अनियंत्रणीय कारकों" में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे:

1. दैवी आपदाएँ;

2. विधि में परिवर्तन; तथा

3. भूमि अधिग्रहण, वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करने तथा अधिकार मार्ग (Right of Way – ROW) से जुड़ी समस्याओं में हुई देरी, सिवाय उन मामलों के जहाँ यह देरी प्रसारण लाइसेंसधारी के कारण हुई हो।

अतिरिक्त पूंजीकरण

10.13 मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत तथा समापन तिथि तक का अतिरिक्त पूंजीकरण:

(क) नई परियोजना या मौजूदा परियोजना से संबंधित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो वाणिज्यिक संचालन तिथि के पश्चात एवं समापन तिथि तक मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है, यदि व्यय निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित हो:

(क) भविष्य में देय ऐसी दायित्वित राशियाँ (Undischarged Liabilities) जिन्हें भुगतान योग्य के रूप में मान्यता दी गई हो;

(ख) ऐसे कार्य जो निष्पादन हेतु स्थगित किए गए हों;

(ग) प्रारंभिक पूंजीगत स्पेयर की खरीद, जो मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत हो तथा इन विनियमों के विनियमन 10.6(d) के प्रावधानों के अनुरूप हो;

(घ) किसी मध्यस्थता निर्णय का निर्वहन करने, या किसी वैधानिक प्राधिकारी के आदेश/निर्देशों अथवा न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश का अनुपालन करने से उत्पन्न दायित्व;

(ङ) विधि में परिवर्तन या किसी मौजूदा विधि के अनुपालन के कारण उत्पन्न व्यय; तथा

(च) दैवी आपदाओं के कारण किए गए पूंजीगत व्यय।

यह उपबंधित किया जाता है कि परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन या उन्नयन की स्थिति में, अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना, अपभूतिकरण (de-capitalisation) के कारण प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के सकल स्थिर परिसंपत्तियों और संचयी अपक्षय (Cumulative Depreciation) को समायोजित करने के पश्चात की जाएगी।

(ख) प्रसारण लाइसेंसधारी अपने शुल्क निर्धारण आवेदन के साथ-साथ मूल कार्य-परिधि में सम्मिलित कार्यों का परिसंपत्ति-वार/कार्य-वार विवरण, व्यय का अनुमान, भविष्य में देय मानी गई दायित्वित राशियों तथा निष्पादन हेतु स्थगित कार्यों का विवरण प्रस्तुत करेगा।

10.14 मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत तथा समापन तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण:

(क) मौजूदा परियोजना या नई परियोजना से संबंधित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत तथा समापन तिथि के पश्चात किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण परीक्षण के अधीन निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत किया जा सकता है:

(i) मध्यस्ता के निर्णय को पूरा करने या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या निर्देश या किसी न्यायलय के निर्णय का अनुपालन करने के दायित्व में;

(ii) विधि में परिवर्तन के कारण उत्पन्न व्यय;

(iii) समापन तिथि से पूर्व निष्पादित कार्यों से संबंधित दायित्व।

(iv) दैवी आपदाएँ;

(v) ऐसी दायित्वित राशियाँ (liabilities) जो समापन तिथि के पश्चात वास्तविक भुगतान द्वारा निर्वहन (discharge) की गई हों और जिन्हें आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(ख) समापन तिथि के पश्चात मौजूदा परियोजना की मूल कार्य-परिधि के अंतर्गत लगाए गए परिसंपत्तियों (assets) के प्रतिस्थापन या उन्नयन (up-gradation) के मामले में, आयोग अतिरिक्त पूंजीकरण को, सकल स्थिर परिसंपत्तियों (gross fixed assets) एवं संचयी अपक्षय (cumulative depreciation) में आवश्यक समायोजन करने के उपरांत तथा विवेकपूर्ण परीक्षण के अधीन, निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत कर सकता है:

(क) जब परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन (useful life) परियोजना के उपयोगी जीवन से मेल नहीं खाता हो और ऐसी परिसंपत्तियाँ इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः मूल्यह्रासित (fully depreciated) हो चुकी हों;

(ख) जब परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन विधि में परिवर्तन या दैवी आपदा के कारण आवश्यक हो;

(ग) जब परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी के अप्रचलन (obsolescence of technology) के कारण आवश्यक हो; तथा

(घ) जब ऐसी परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन अन्यथा आयोग द्वारा अनुमत किया गया हो।

10.15 मूल परिधि से परे अतिरिक्त पूंजीकरण:

क) निम्नलिखित कारणों से, मौजूदा प्रसारण प्रणाली (जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है) के संबंध में, मूल परिधि से परे की गई या की जाने वाली संभाव्य पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा उपयुक्तता परीक्षण के अधीन, स्वीकृत की जा सकती है–

(i) मध्यस्थता के निर्णय का पालन करने या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या निर्देश, अथवा किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देनदारियाँ पूरी करने के लिए;

(ii) किसी विधि में परिवर्तन अथवा किसी प्रचलित विधि के अनुपालन हेतु;

(iii) दैवी प्रकोप की घटनाएँ;

(iv) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता, जैसा कि उपयुक्त भारतीय सरकारी संस्थान या राष्ट्रीय अथवा आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा सलाह या निर्देशित किया गया हो।

ख) यदि किसी प्रसारण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) की परिसंपत्तियों का अपपूंजीकरण (de-capitalisation) किया जाता है, तो ऐसे परिसंपत्ति की मूल लागत, जिसका सत्यापन उसके वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा अपपूंजीकरण की तिथि के अनुसार किया गया हो, सकल स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य से घटाई जाएगी; तथा उन परिसंपत्तियों पर संबंधित बकाया ऋण एवं इक्विटी को क्रमशः ऋण और इक्विटी शेष से घटाया जाएगा। ऐसी कटौती उस वर्ष में की जाएगी जिसमें अपपूंजीकरण (de-capitalisation) होता है, तथा संचयी मूल्यह्रास (cumulative depreciation) और ऋण की संचयी अदायगी में संबंधित समायोजन भी किया जाएगा, इस तथ्य को उचित रूप से ध्यान में रखते हुए कि परिसंपत्ति का पूंजीकरण किस वर्ष किया गया था।

10.16 स्वीकृत योजना लागत के अंतर्गत होने वाले अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव को आयोग वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान सम्मिलित रूप से विचार करेगा।

यह उपबंधित है कि आयोग इस शुल्क विनियमन के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण के अधीन, गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावित किसी भी नई योजना पर विचार कर सकता है।

10.17 नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण होने वाला अतिरिक्त पूंजीकरण:

क) वह संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) जो किसी संचरण प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व का नवीनीकरण या आधुनिकीकरण इस उद्देश्य से करना चाहता है कि उस प्रणाली का जीवनकाल, दर निर्धारण हेतु मान्यता प्राप्त उपयोगी आयु से अधिक बढ़ाया जा सके, उसे आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु एक याचिका प्रस्तुत करनी होगी। इस याचिका के साथ एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संलग्न किया जाएगा जिसमें समस्त दायरा, औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण, लोड फ्लो विश्लेषण, दर की यथोचितता, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवनवृद्धि, वित्तीय संरचना, व्यय की चरणबद्ध योजना, पूर्णता का समय-निर्धारण, संदर्भ मूल्य स्तर, विदेशी मुद्रा घटक (यदि कोई हो) सहित अनुमानित पूर्णता लागत, तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी सम्मिलित होगी जिन्हें संचरण लाइसेंसधारी उपयुक्त समझे।

यह उपबंधित है कि जो संचरण लाइसेंसधारी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य करना चाहता है, उसे ऐसे नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए लाभार्थियों या दीर्घकालीन उपभोक्ताओं (जैसा कि मामला हो) की सहमति प्राप्त करनी होगी तथा उक्त सहमति याचिका के साथ संलग्न करनी होगी।

ख) जहाँ कोई संचरण लाइसेंसधारी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, वहाँ प्रस्तावित लागत अनुमान की यथोचितता, लोड फ्लो विश्लेषण, वित्तपोषण योजना, पूर्णता का कार्यक्रम, निर्माणावधि के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक

के उपयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, अपेक्षित जीवनवृद्धि की अवधि, लाभार्थियों या दीर्घकालीन उपभोक्ताओं की प्राप्त सहमति (यदि प्राप्त हो), और ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग प्रासंगिक समझे, को उचित रूप से विचार करने के पश्चात अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है।

ग) नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पूर्ण होने के पश्चात, संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) को शुल्क निर्धारण हेतु एक याचिका दायर करनी होगी। आयोग द्वारा उपयुक्तता परीक्षण के पश्चात स्वीकृत की गई या की जाने वाली व्यय राशि, तथा स्वीकृत परियोजना लागत से पहले से वसूल की जा चुकी संचयी मूल्यह्रास (accumulated depreciation) की कटौती के बाद शेष राशि, दर निर्धारण का आधार बनेगी।

संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्यय

10.18 संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) व्यय में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी–

(क) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी व्यय;

(ख) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

(ग) मरम्मत एवं अनुरक्षण(O&M) संबंधी व्यय।

10.19 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के लिए संचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लेखापरीक्षित खातों, संचरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के वास्तविक व्ययों के आकलन, उपयुक्तता परीक्षण और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य किसी भी कारक को ध्यान में रखा जाएगा।

10.20 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु एआरआर के अंतर्गत स्वीकार्य संचालन एवं अनुरक्षण व्यय निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किए जाएंगे:

सूत्र:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) + \text{अंतिम देनदारियाँ (Terminal liabilities)}$$

जहाँ–

$R\&M_n$ – nवें वर्ष के लिए संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) के मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत;

$A\&G_n$ – nवें वर्ष के लिए संचरण लाइसेंसधारी के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय;

EMP_n – nवें वर्ष के लिए संचरण लाइसेंसधारी के कर्मचारी व्यय, अंतिम देनदारियों को छोड़कर।

10.21 उपर्युक्त घटकों की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:

क) $R\&M_n = K \times GFA \times (INDX_n / INDX_0)$

जहाँ–

" K" एक स्थिरांक (प्रतिशत में व्यक्त) है, जो मरम्मत एवं अनुरक्षण (R&M) लागत और सकल स्थिर परिसंपत्तियों (GFA) के बीच संबंध को नियंत्रित करता है।

यह स्थिरांक उन वर्षों के R&M तथा GFA के प्रतिशत के आधार पर गणना किया जाएगा, जो आधार वर्ष) से पूर्ववर्ती वर्षों के लिए एम.वाई.टी. (MYT) आदेश में निर्दिष्ट हैं, और जिसमें किसी भी असामान्य व्यय को सामान्यीकृत (normalised) किया गया हो।

'GFA' nवें वर्ष की सकल स्थिर परिसंपत्ति का उद्घाटन मूल्य है।

$INDX_n$ नियंत्रण अवधि के nवें वर्ष का सूचकांक है।

$INDX_0$ नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष का सूचकांक है।

ख) $EMP_n + A\&G_n = [(EMP_{n-1} \times (1 + G_n)) + (A\&G_{n-1})] \times (INDX_n / INDX_{n-1})$

जहाँ–

EMP_{n-1} – (n-1)वें वर्ष के लिए संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) के कर्मचारी व्यय, अंतिम देनदारियों को छोड़कर;

$A\&G_{n-1}$ – (n-1)वें वर्ष के लिए संचरण लाइसेंसधारी के प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विधिक/विचारण (legal/litigation) व्ययों को छोड़कर;

$INDX_n$ – वह मुद्रास्फीति गुणांक (Inflation Factor) है, जिसका उपयोग कर्मचारी व्यय एवं प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय को सूचकांकित करने के लिए किया जाएगा। यह आधार वर्ष

से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संयोजन पर आधारित होगा;

G_n – nवें वर्ष का वृद्धि गुणांक है, जो वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या कम हो सकता है। G_n का मान आयोग द्वारा एम.वाई.टी. (MYT) आदेश में, संचरण लाइसेंसधारी की फाइलिंग, तुलनात्मक मानदंड, और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

ग) $INDX_n = 0.55 \times CPI_n + 0.45 \times WPI_n$

टिप्पणी 1: अनुमान के उद्देश्य से, नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए समान $INDX_n$ / $INDX_{n-1}$ मान का उपयोग किया जाएगा। तथापि, आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान वास्तविक $INDX_n$ / $INDX_{n-1}$ मानों पर विचार करेगा और नियंत्रण अवधि के लिए इस परिवर्तन के आधार पर कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) व्ययों का समायोजन करेगा।

टिप्पणी 2: वेतन आयोग या वेतन संशोधन समझौते आदि द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों के कारण उत्पन्न किसी भी अंतर को आयोग पृथक रूप से विचार करेगा।

टिप्पणी 3: अंतिम देनदारियाँ संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के अनुसार अथवा एक्चुरियल अध्ययन (actuarial studies) के माध्यम से स्थापित किए जाने पर अनुमोदित की जाएंगी।

10.22 याचिकाकर्ता (Petitioner) उपर्युक्त विवरणों के अतिरिक्त, पूर्ववर्ती वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के विधिक/विचारण व्ययों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसे व्ययों की गई व्यय-राशि से संबंधित सभी विवरण एवं साक्ष्य दस्तावेज सम्मिलित होंगे। आयोग नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर झारखंड राज्य वाद नीति के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विधिक व्ययों को अनुमोदित करेगा तथा ट्रू-अप (truing up) के समय विधिक व्ययों का उपयुक्तता परीक्षण करेगा।

ऋण-इक्विटी अनुपात

10.23 मौजूदा योजनाएँ – वे पूंजीगत व्यय योजनाएँ जो 1 अप्रैल 2026 से पूर्व पूंजीकृत की गई हैं, उनके लिए आयोग द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु दर निर्धारण में स्वीकृत ऋण-इक्विटी अनुपात को माना जाएगा।

10.24 नई योजनाएँ – वे पूंजीगत व्यय योजनाएँ जो 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद पूंजीकृत की गई हैं–

क) दर निर्धारण के उद्देश्य से 70:30 का मानक (normative) ऋण-इक्विटी अनुपात माना जाएगा;

ख) यदि प्रयुक्त वास्तविक इक्विटी 30% से अधिक है, तो दर निर्धारण के उद्देश्य से इक्विटी की राशि को 30% तक सीमित किया जाएगा, तथा शेष राशि को मानक ऋण (normative loan) माना जाएगा।

ग) यदि प्रयुक्त वास्तविक इक्विटी 30% से कम है, तो वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात को ही माना जाएगा।

घ) यदि संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) ने शेयर पूंजी जारी करते समय कोई प्रीमियम प्राप्त किया है या निशुल्क राशि (free reserve) से उत्पन्न आंतरिक संचय (internal accruals) का निवेश किया है, तो ऐसी राशि, बशर्ते कि उसे वास्तव में पूंजीगत व्यय वहन करने के लिए उपयोग किया गया हो, चुकता पूंजी (paid-up capital) के रूप में मानी जाएगी, और इक्विटी पर प्रतिफल (return on equity) की गणना हेतु सम्मिलित की जाएगी।

टिप्पणी 1: कार्य की मूल परिधि के अंतर्गत बाध्यकारी देनदारियों (committed liabilities) के कारण स्वीकृत कोई भी व्यय, तथा प्रौद्योगिक-आर्थिक आधारों पर स्थगित किया गया परंतु कार्य की मूल परिधि में आने वाला कोई भी व्यय, इन विनियमनाओं में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात पर निर्गत किया जाएगा।

टिप्पणी 2: पुरानी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन अथवा नवीनीकरण, आधुनिकीकरण या जीवनवृद्धि पर किए गए किसी भी व्यय को भी इन विनियमनाओं में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात पर ही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि मूल परिसंपत्ति का संपूर्ण पुस्तकीय मूल्य (book value) नई परिसंपत्ति की पूंजी लागत से घटा दिया गया हो।

टिप्पणी 3: कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित नहीं किए गए नए कार्यों पर, दर निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत किसी भी व्यय को इन विनियमनाओं में निर्दिष्ट मानक ऋण-इक्विटी अनुपात पर ही वहन किया जाएगा।

10.25 संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) अपने निदेशक मंडल के संकल्प या अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके पूंजीगत व्यय को वहन करने के लिए किए गए या किए जाने वाले आंतरिक संसाधनों से निधि प्रविष्टि के उपयोग का समर्थन किया गया हो।

इक्विटी पर प्रतिफल

10.26 नियंत्रण अवधि के लिए इक्विटी पर प्रतिफल की दर 14.00% (कर-पश्चात) होगी।

10.27 प्रत्येक वर्ष के लिए इक्विटी पर प्रतिफल उन परिसंपत्तियों पर प्रयुक्त इक्विटी के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा जो उपयोग में हैं, और इसमें निम्नलिखित का विचार किया जाएगा–

क) उन परिसंपत्तियों (जो उपयोग में हैं) पर प्रयुक्त इक्विटी जो इन विनियमनाओं के विनियम 10.23 के अनुसार वर्ष के आरंभ में पूंजीकृत की गई हैं; तथा

ख) उन परिसंपत्तियों (जो उपयोग में हैं) पर प्रयुक्त अनुमानित इक्विटी का 50%, जो इन विनियमनाओं के विनियम 10.24 के अनुसार उस वर्ष के दौरान कमीशन की गई हैं।

ऋण पूंजी पर ब्याज

10.28 इन विनियमनाओं के उपविनियम 10.23 और 10.24 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार प्राप्त किए गए ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानक ऋण (gross normative loan) के रूप में माना जाएगा।

10.29 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में बकाया मानक ऋण (normative loan outstanding) का निर्धारण, 31 मार्च 2026 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान (cumulative repayment) को सकल मानक ऋण (gross normative loan) से घटाकर किया जाएगा।

10.30 नियंत्रण अवधि के वर्ष के लिए पुनर्भुगतानको उस वर्ष के लिए अनुमोदित मूल्यह्रास के बराबर माना जाएगा।

10.31 परिसंपत्तियों के अपपूंजीकरण (de-capitalization) की स्थिति में, पुनर्भुगतान को आनुपातिक आधार पर संचयी पुनर्भुगतान को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाएगा, और यह समायोजन उन परिसंपत्तियों की अपपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचयी मूल्यह्रास राशि से अधिक नहीं होगा।

10.32 संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) द्वारा प्राप्त किसी भी स्थगन अवधि के बावजूद, योजना के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से ही ऋण पुनर्भुगतानमाना जाएगा।

10.33 ब्याज दर (Rate of Interest) प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) के वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) के रूप में गणना की जाएगी।

यह उपबंधित है कि यदि किसी वर्ष के लिए वास्तविक ऋण उपलब्ध नहीं है, परंतु मानक ऋण (normative loan) अब भी बकाया है, तो ब्याज दर मानक आधार (normative basis) पर ली जाएगी और वह नियंत्रण अवधि (Control Period) के उस संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में प्रचलित बैंक दर (Bank Rate) से 200 आधार अंक (basis points) अधिक होगी।

10.34 ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानक औसत ऋण (normative average loan) पर भारित औसत ब्याज दर लागू करके की जाएगी।

10.35 उपर्युक्त ब्याज गणना में उस ऋण राशि पर ब्याज सम्मिलित नहीं किया जाएगा — चाहे वह मानक हो या अन्यथा — जो उपभोक्ता अंशदान, अनुदान, या संचरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए जमा कार्यों (Deposit Works) से वित्त पोषित पूंजी लागत के अनुपात में हो।

10.36 संचरण लाइसेंसधारी को प्रत्येक अवसर पर पुनःवित्तपोषण करने के लिए प्रयास करना होगा, बशर्ते कि इससे ब्याज पर शुद्ध बचत प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में, पुनःवित्तपोषण से संबंधित लागत उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी, और प्राप्त शुद्ध बचत को उपयोगकर्ताओं और संचरण लाइसेंसधारी के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

मूल्यह्रास

10.37 प्रत्येक दर अवधि के वर्ष के लिए मूल्यह्रास की गणना आयोग द्वारा स्वीकृत परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत की राशि पर की जाएगी।

यह उपबंधित है कि वे परिसंपत्तियाँ जो लाभार्थी, वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता (Distribution System User), पूंजीगत अनुदान या अनुदान से वित्त पोषित हैं, उन पर मूल्यह्रास की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था पूंजीगत निवेश योजना में की जाएगी।

10.38 प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यह्रास इन विनियमनाओं में निर्दिष्ट कार्यविधि, दरों और अन्य शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

10.39 मूल्यह्रास की वार्षिक गणना सरळ रेखीय विधि (straight-line method) पर की जाएगी, जैसा कि परिशिष्ट-I) में निर्दिष्ट दरों पर लागू है। मूल्यह्रास के उद्देश्य से परिसंपत्ति का आधार मूल्य उसकी मूल लागत (original cost of the asset) होगा।

यह उपबंधित है कि जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के पुस्तकीय मूल्य (Book Value) का सत्तर (70) प्रतिशत तक हो जाए, तो 31 मार्च को समापन वर्ष की स्थिति में शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य (remaining depreciable value) को परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन (balance useful life) की अवधि में वितरित किया जाएगा।

10.40 किसी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास उसकी परिचालन के प्रथम वर्ष से लगाया जाएगा। यदि परिसंपत्ति का परिचालन वर्ष के केवल एक भाग के लिए किया गया है, तो मूल्यह्रास अनुपातिक आधार पर लगाया जाएगा।

10.41 परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य (residual value) 10% माना जाएगा, और परिसंपत्ति की मूल लागत के अधिकतम 90% तक मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी। भूमि (land) मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति नहीं है, अतः उसकी लागत को परिसंपत्ति की मूल लागत के 90% मूल्यह्रास की गणना करते समय बाहर रखा जाएगा।

यह उपबंधित है कि आईटी उपकरण एवं सॉफ़्टवेयर के लिए अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाएगा तथा ऐसी परिसंपत्तियों के 100% मूल्य को मूल्यह्रास योग्य माना जाएगा।

10.42 यदि अचल परिसंपत्ति रजिस्टर (Fixed Assets Register) उपलब्ध नहीं है, तो आयोग संचरण लाइसेंसधारी (Transmission Licensee) के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित खातों के अनुसार मूल्यह्रास और औसत सकल स्थिर परिसंपत्तियों (Average Gross Fixed Assets) के अनुपात से प्राप्त मूल्यह्रास प्रतिशत की गणना कर सकता है। यह गणना किया गया प्रतिशत उस वित्तीय वर्ष के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत औसत GFA से गुणा किया जाएगा, जिससे उस वर्ष का मूल्यह्रास निर्धारित किया जाएगा।

10.43 परिसंपत्तियों के अपपूंजीकरण (de-capitalization) की स्थिति में, संचयी मूल्यह्रास (cumulative depreciation) को उन परिसंपत्तियों की उपयोगी सेवा अवधि के दौरान दर के माध्यम से वसूल किए गए मूल्यह्रास को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

10.44 संचरण लाइसेंसधारी के लिए कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे–

(क) रखरखाव स्पेयर (Maintenance Spares): इन विनियमनाओं के उपविनियम 10.19 से 10.21 में निर्दिष्ट O&M व्यय का 15%;

(b) वार्षिक स्थिर लागत (Annual Fixed Cost) के 45 दिनों के बराबर प्राप्तियां (Receivables);

(ग) एक माह के संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एंड.एम.) व्यय;

(घ) घटाएं: वह ब्याज, यदि कोई हो, जो संचरण प्रणाली उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा के रूप में

10.45 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर उस बैंक दर के बराबर होगी जो उस वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को लागू है जिसमें बहुवर्षीय दर (एम.वाई.टी.) याचिका दायर की गई हो, तथा उसमें 200 आधार अंकों की वृद्धि की जाएगी। ट्रू-अप के समय, ब्याज दर को उस वास्तविक दर के अनुसार समायोजित किया जाएगा जो उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित थी जिसके लिए ट्रू-अप अभ्यास किया गया हो।

10.46 यह प्रावधान किया जाएगा कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज का भुगतान प्रावधिक (नॉर्मेटिव) आधार पर किया जाएगा, चाहे संचरण लाइसेंसधारी ने किसी बाहरी संस्था से कार्यशील पूंजी ऋण लिया हो या नहीं।

आयकर

10.47 संचरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय पर देय आयकर, अनुमोदित इक्विटी पर प्रतिफल के कर तक सीमित होगा।

10.48 वास्तविक रूप से देय अथवा भुगतान किया गया आयकर, जो अनुमोदित इक्विटी पर प्रतिफल के कर तक सीमित होगा, ट्रू-अप के समय ए.आर.आर. में सम्मिलित किया जाएगा। आयकर का वास्तविक निर्धारण करते समय कर अवकाश (Tax Holiday) के लाभ तथा आयकर अधिनियम, 1961 तथा उसके संशोधनों के अनुसार अग्रेषित हानियों के समायोजन का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। संचरण लाइसेंसधारी की अन्य आय स्रोतों पर लगाया गया कर लाभार्थियों से वसूल नहीं किया जाएगा।

गैर-शुल्क आय

10.49 संचरण व्यवसाय से संबंधित गैर-दर आय की वह राशि, जिसे आयोग विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और उचित तरीके से अनुमोदित करता है, संचरण व्यवसाय के दर निर्धारण में एआरआर से घटा दी जाएगी:

यह उपबंध किया गया है कि संचरण लाइसेंसधारी, आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपनी गैर-शुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा।

10.50 गैर-शुल्क आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) भूमि या भवनों के किराए से प्राप्त आय;

(ख) कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय;

(ग) निवेश से प्राप्त आय;

(घ) आपूर्तिकर्ताओंठेकेदारों को अग्रिम दी गई राशि पर संचित ब्याज;

(ङ) कर्मचारियों को दिए गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय;

(च) स्टाफ क्वार्टरों के किराए से प्राप्त आय;

(छ) ठेकेदारों से प्राप्त किराया आय;

(ज) ठेकेदारों तथा अन्य पक्षों से प्राप्त किराया या Hire Charges;

(झ) पर्यवेक्षण शुल्क आदि से प्राप्त आय;

(त्र) पूंजीगत कार्यों हेतु पर्यवेक्षण शुल्क;

(ट) विज्ञापनों से प्राप्त आय;

(ठ) निविदा दस्तावेजों की बिक्री से प्राप्त आय।

(म) परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ (अर्थात विक्रय मूल्य और पुस्तकीय मूल्य के बीच का अंतर);

(न) कोई अन्य गैर-शुल्क आय;

यह उपबंध किया गया है कि संचरण व्यवसाय के विनियमित कार्य से संबद्ध इक्विटी पर प्रतिफल से की गई निवेशों से अर्जित ब्याज को गैर-शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह भी उपबंध किया गया है कि यह सिद्ध करने का दायित्व कि ऐसे निवेश इक्विटी पर प्रतिफल से किए गए हैं, आयोग की संतुष्टि हेतु, लाइसेंसधारी पर होगा।

संचरण लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय से आय

10.51 जहाँ संचरण लाइसेंसधारी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित व्यवसाय के बुनियादी ढांचे और/या जनशक्ति का उपयोग करते हुए किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है, वहां ऐसे व्यवसाय से आय का निर्धारण निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा:

10.52 अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को संचरण लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकताओं की गणना करते समय ए.आर.आर. से विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और उचित तरीके से घटाया जाएगा:

यह उपबंध किया गया है कि संचरण लाइसेंसधारी, संचरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक यथोचित आधार का पालन करेगा तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवंटन विवरणी (Allocation Statement) को शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा:

यह भी उपबंध किया गया है कि यदि ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग, उस व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसाय के मद में कोई राशि संचरण लाइसेंसधारी के ए.आर.आर. में जोड़ी नहीं जाएगी।

आपूर्ति की गुणवत्ता

10.53 नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग निम्नलिखित आपूर्ति गुणवत्ता मानकों की निगरानी करेगा:

(क) संचरण प्रणाली की उपलब्धता;

(ख) विभिन्न क्षमताओं में ट्रांसफार्मर विफलताएँ, जिन्हें संचरण प्रणाली में निर्दिष्ट क्षमता के अंतर्गत ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में किसी निर्दिष्ट अवधि में हुए ट्रांसफार्मर विफलताओं की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

10.54 संचरण लाइसेंसधारी अपनी व्यवसाय योजना (Business Plan) प्रस्तुतियों में गुणवत्ता लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रक्षेप पथ (trajectory) का प्रस्ताव और विवरण प्रस्तुत करेगा। आयोग प्रत्येक पैरामीटर के लिए लक्ष्यों को निर्दिष्ट करेगा। संचरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक पैरामीटर पर अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा।

संचालन की मानदंड

10.55 **पूर्ण संचरण शुल्क की वसूली हेतु प्रावधिक वार्षिक संचरण प्रणाली उपलब्धता गुणक** (Normative Annual Transmission System Availability Factor - NATSAF) इस प्रकार होगा:

वार्षिक स्थिर शुल्ककी वसूली हेतु —

ए.सी. प्रणाली: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की नियंत्रण अवधि के लिए 98.0%;

एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल लिंक: वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की नियंत्रण अवधि के लिए 95.0%;

एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक स्टेशन: वित्तीय वर्ष 2027-31 की नियंत्रण अवधि के लिए 95.0%।

यह उपबंध किया गया है कि एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल लिंक का प्रावधिक वार्षिक संचरण उपलब्धता गुणक वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पहले बारह माह की अवधि के लिए 85% होगा।

प्रोत्साहन (Incentive) हेतु विचार के लिए —

ए.सी. प्रणाली: नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2027-31 के लिए 98.50%;

एच.वी.डी.सी. बाइ-पोल लिंक: नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2027-31 के लिए 95.0%;

एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक स्टेशन: नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2027-31 के लिए 95.0%।

यह उपबंध किया गया है कि 99.85% से अधिक उपलब्धता के लिए कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

यह भी उपबंध किया गया है कि ए.सी. प्रणाली के लिए प्रति वर्ष दो ट्रिपिंग की अनुमति होगी। वर्ष में दो ट्रिपिंग के पश्चात वास्तविक आउटेज अवधि के अतिरिक्त 12 घंटे की अतिरिक्त आउटेज अवधि मानी जाएगी।

यह भी उपबंध किया गया है कि यदि किसी संचरण तत्व की आउटेज से किसी उत्पादन स्टेशन से विद्युत निकासी प्रभावित होती है, तो आउटेज घंटों को 2 के गुणक से गुणा किया जाएगा।

10.56 **उपकेंद्र में सहायक ऊर्जा खपत**

ए.सी. प्रणाली: वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य उपकरणों में खपत हेतु ए.सी. उपकेंद्र में सहायक ऊर्जा खपत के शुल्क संचरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे तथा उन्हें प्रावधिक संचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित किया जाएगा।

वार्षिक संचरण शुल्क

10.57 संचरण लाइसेंसधारी को इन विनियमों के उपबंधों 10.58 से 10.60 में निर्दिष्ट अनुसार लाभार्थियों से अपना वार्षिक संचरण शुल्क (Annual Transmission Charges - ATC) वसूलने का अधिकार होगा।

निश्चित शुल्क की वसूली

10.58 संचरण प्रणाली की स्थिर लागत का वार्षिक आधार पर इन विनियमों में निहित मानदंडों के अनुसार गणना की जाएगी, उपयुक्त रूप से समेकित की जाएगी, और उपयोगकर्ताओं से संचरण शुल्क के रूप में मासिक आधार पर वसूली की जाएगी।

10.59 किसी कैलेंडर माह के लिए किसी संचरण प्रणाली अथवा उसके भाग के लिए देय संचरण शुल्क (प्रोत्साहन सहित) इस प्रकार होगा —

(क) जब TAFM < 98% हो तब:

$$AFC \times (NDM / NDY) \times (TAFM / 98\%)$$

(ख) जब TAFM: 98% < TAFM < 98.5% हो

AFC × (NDM / NDY) × (1)

(ग) जब TAFM: 98.5% < TAFM < 99.85% हो

AFC × (NDM / NDY) × (TAFM / 98.5%)

(घ) जब TAFM > 99.85% हो

AFC × (NDM / NDY) × (99.85% / 98.5%)

जहाँ:

AFC = वर्ष हेतु निर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत (रुपयों में);

NDM = माह के दिनों की संख्या;

NDY = वर्ष के दिनों की संख्या; तथा

TAFM = माह के लिए संचरण प्रणाली उपलब्धता गुणक (प्रतिशत में), इन विनियमों के परिशिष्ट-III के अनुसार गणना किया गया।

10.60 संचरण लाइसेंसधारी, माह के संचरण शुल्क (प्रोत्साहन सहित) के लिए TAFM के अपने अनुमान के आधार पर बिल जारी करेगा। आवश्यकतानुसार समायोजन उस TAFM के आधार पर किया जाएगा जिसकी प्रमाणीकरण एस.एल.डी.सी. द्वारा संबंधित माह के अंतिम दिन से 30 दिनों के भीतर की जाएगी।

वार्षिक संचरण शुल्क का आवंटन

10.61 वार्षिक संचरण शुल्क (Annual Transmission Charge - ATC) का आवंटन, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय संचरण प्रणाली के शुल्कों के साझेदारी हेतु रूपरेखा) विनियम, 2019 के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

विलंबित भुगतान अधिभार

10.62 यदि इन विनियमों के अंतर्गत देय किसी बिल का भुगतान उपभोक्ता द्वारा बिलिंग तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि के साथ पहले माह के लिए विलंबित भुगतान अधिभार लागू होगा, तथा प्रत्येक अतिरिक्त माह या उसके भाग के लिए दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की जाएगी। तथापि, यह अधिकतम संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को लागू बैंक दर में 500 आधार अंकों की वृद्धि तक सीमित होगी। यह अधिभार संचरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाया जाएगा।

यह उपबंध किया गया है कि विलंबित भुगतान अधिभार की दर, संचरण लाइसेंसधारी और उसके लाभार्थियों के बीच संपादित संचरण सेवा अनुबंध (TSA) में निर्दिष्ट दर से अधिक नहीं होगी।

रिबेट

10.63 यदि संचरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान बिल प्रस्तुत किए जाने के 5 दिनों के भीतर किया जाता है, तो 2.00% की रिबेट (छूट) दी जाएगी।

यह उपबंध किया गया है कि यदि टी.एस.ए. (TSA) में संचरण लाइसेंसधारी और लाभार्थी/लाभार्थियों के बीच रिबेट का प्रतिशत सहमति से निर्धारित किया गया हो, तो वही लागू होगा।

टिप्पणी: 5 दिनों की गणना की स्थिति में, अवकाशों को ध्यान में रखे बिना लगातार दिनों की गणना की जाएगी। तथापि, यदि अंतिम दिन या पाँचवाँ दिन राजपत्रित अवकाश होता है, तो रिबेट के प्रयोजन हेतु पाँचवाँ दिन राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार अगले कार्य दिवस को माना जाएगा, जहाँ लाभार्थी के अधिकृत हस्ताक्षरी या प्रतिनिधि का कार्यालय बिल की प्राप्ति या स्वीकृति के प्रयोजन हेतु स्थित है।

मानदंडों से विचलन

10.64 संचरण लाइसेंसधारी, इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों से विचलन करते हुए भी संचरण शुल्क का निर्धारण कर सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों —

(क) परियोजना के उपयोगी जीवन के लिए औसतीकृत शुल्क (Levelized Tariff), जो कि अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु सी.ई.आर.सी. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित छूट कारक (Discounting Factor) के आधार पर, इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के स्थान पर विचलित मानदंडों के अनुसार गणना किया गया हो, वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार गणना किए गए औसतीकृत दर से अधिक नहीं होगा।

(ख) किसी भी प्रकार का विचलन केवल आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रभावी होगा, जिसके लिए संचरण लाइसेंसधारी को दर निर्धारण हेतु दर याचिका / ए.आर.आर. दायर करने से पूर्व आवेदन करना होगा।

लीज शुल्क

10.65 संचरण लाइसेंसधारी द्वारा लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए देय लीज शुल्क, लीज अनुबंध के अनुसार माना जाएगा, बशर्ते आयोग उसे युक्तिसंगत समझे।

विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन

10.66 संचरण लाइसेंसधारी को संचरण प्रणाली हेतु लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज तथा उसके पुनर्भुगतान से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम को पूर्णतः या आंशिक रूप से हेज (Hedge) करने का अधिकार होगा। यह निर्णय संचरण लाइसेंसधारी के विवेक पर निर्भर होगा।

10.67 प्रत्येक संचरण लाइसेंसधारी को, संबंधित वर्ष के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष प्रावधिक विदेशी ऋण से संबद्ध विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के हेजिंग की लागत को उस अवधि के व्यय के रूप में वसूलने की अनुमति होगी, जिसमें यह उत्पन्न होती है। तथापि, ऐसे हेज किए गए विदेशी ऋण से संबंधित अतिरिक्त रुपये की देयता स्वीकार्य नहीं होगी।

10.68 जिस सीमा तक संचरण लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज नहीं कर पाता है, उस स्थिति में संबंधित वर्ष में प्रावधिक विदेशी मुद्रा ऋण से संबद्ध ब्याज भुगतान तथा ऋण पुनर्भुगतान के लिए

अतिरिक्त रुपये की देयता की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह संचरण लाइसेंसधारी या उसके आपूर्ति कर्ताओं अथवा ठेकेदारों के कारण उत्पन्न न हुई हो।

10.69 संचरण लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन एवं हेजिंग की लागत को उस अवधि में, जिसमें यह उत्पन्न होती है, आय या व्यय के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

आवेदन शुल्क और प्रकाशन व्यय

10.70 दर अनुमोदन हेतु दायर आवेदन में उत्पन्न आवेदन शुल्क तथा सूचनाओं के प्रकाशन पर हुए व्यय को, आयोग के विवेकानुसार, संचरण लाइसेंसधारी को सीधे लाभार्थियों से वसूलने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्याय – IV

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) और दर (दर) दाखिल करने की प्रक्रिया

क 11. बहु वर्षीय दर (MYT) दाखिल करने की प्रक्रिया

11.1 बहु वर्षीय दर (MYT) आवेदन आयोग द्वारा इन विनियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप, समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित रूप में, प्रस्तुत किया जाएगा।

11.2 संचरण लाइसेंसधारक को आयोग को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी MYT आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

11.3 संचरण लाइसेंसधारक को इन विनियमों के अनुभाग A 24 में निर्दिष्ट MYT रूपरेखा और समयसीमा के अनुसार नियंत्रण अवधि के लिए MYT याचिका दाखिल करनी होगी; अनुपालन न होने की स्थिति में:

(क) आयोग स्वयं संज्ञान लेकर MYT आदेश जारी कर सकता है;

(ख) आयोग संचरण लाइसेंसधारक को इक्विटी पर प्रतिफल (return on equity) प्रदान नहीं कर सकता है।

नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व

11.4 संचरण लाइसेंसधारक को इन विनियमों के अनुभाग A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, और विनियमों के उपविनियम 6.5 से 6.12 के अनुरूप, आयोग से अनुमोदन के लिए व्यवसाय योजना और MYT याचिका दाखिल करनी होगी।

नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक दाखिले

11.5 संचरण लाइसेंसधारक को आयोग को ऐसे आवधिक विवरण प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें परिचालन एवं लागत संबंधी आँकड़े शामिल हों, ताकि आयोग अपने MYT आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी वार्षिक दाखिलों (Annual Filings) के माध्यम से, इन विनियमों के अनुभाग A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, कर सके।

11.6 संचरण लाइसेंसधारक को आयोग को अपने प्रदर्शन और खातों का वार्षिक विवरण, जिसमें लेखा परीक्षणित खातों की नवीनतम रिपोर्ट सम्मिलित हो, प्रस्तुत करना होगा।

क 12. आवेदन का निपटान

12.1 आयोग को संचरण लाइसेंसधारक द्वारा की गई दाखिलों की प्रक्रिया इन विनियमों और झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2024 तथा उसके संशोधनों के अनुरूप करनी होगी।

12.2 संचरण लाइसेंसधारक की दाखिलों, जनसाधारण एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के आधार पर, आयोग आवेदन को उपयुक्त रूप से न्यायसंगत और उचित समझे गए संशोधनों और/या शर्तों सहित स्वीकार कर सकता है, तथा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों के भीतर, और जनसाधारण सहित अन्य हितधारकों के सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसा आदेश जारी करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आधार वर्ष (Base Year) के पूर्ववर्ती वर्ष की वास्तविक लागत घटकों का परिनिरीक्षण (truing up), आधार वर्ष के लिए मानकों का अनुमान, और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं संचरण दर (Transmission Tariff) का निर्धारण शामिल होगा।

इस आदेश में अनुमोदित व्यवसाय योजना (Business Plan) तथा नियंत्रण अवधि के लिए नियंत्रित मदों (controllable items) के लक्ष्यों का उल्लेख भी होगा।

क 13. आवधिक समीक्षा

नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा

13.1 बहु वर्षीय दर (MYT) रूपरेखा के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु, आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान संचरण लाइसेंसधारक के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा कर सकता है, ताकि किसी भी व्यावहारिक समस्या, चिंता या अप्रत्याशित परिणामों का निराकरण किया जा सके।

13.2 संचरण लाइसेंसधारक को वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के भाग के रूप में, वास्तविक प्रदर्शन से संबंधित जानकारी इन विनियमों के अनुभाग A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी, ताकि आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके।

इसमें उसके प्रदर्शन के वार्षिक विवरण, लेखा विवरण और इन विनियमों के अनुसार कार्य की गई दर संरचना (tariff) सम्मिलित होगी।

13.3 संचरण लाइसेंसधारक को इन विनियमों के अनुभाग A 24 में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के परिनिरीक्षण (True-up) तथा समकक्ष दर समायोजन भी प्रस्तुत करने होंगे।

संशोधित अनुमान को अप्रभावनीय अंतर (uncontrollable variations), लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन के लिए लाभ-साझाकरण तंत्र तथा संचरण गुणवत्ता लक्ष्यों के प्रदर्शन ढांचे (performance framework) के क्रियान्वयन के आधार पर लागत के परिनिरीक्षण (true-up of costs) हेतु आवश्यक किया जाएगा।

13.4 आयोग नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए संचरण लाइसेंसधारक के पूर्वानुमान) में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता है, तथा इसके लिए विस्तृत कारण निर्दिष्ट करेगा।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

13.5 नियंत्रण अवधि के अंत की ओर, आयोग यह समीक्षा करेगा कि क्या इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के कार्यान्वयन ने अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं।

इस प्रक्रिया के दौरान, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग संरचना, क्षेत्र की आवश्यकताएँ, उपभोक्ता एवं अन्य हितधारकों की अपेक्षाएँ, तथा उस समय पर आवेदक की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेगा।

अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर, आयोग अगले नियंत्रण अवधि के लिए सिद्धांतों में संशोधन कर सकता है।

13.6 पहली नियंत्रण अवधि की समाप्ति दूसरी नियंत्रण अवधि की शुरुआत होगी, और संचरण लाइसेंसधारक को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जब तक कि आयोग अन्यथा निर्देश न दे।

13.7 आयोग संचरण लाइसेंसधारक के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगा, जो आगामी नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में होगा, और वास्तविक प्रदर्शन, अपेक्षित दक्षता सुधार तथा प्रचलित अन्य कारकों के आधार पर, अगले नियंत्रण अवधि के लिए आरंभिक मान (initial values) निर्धारित करेगा।

अध्याय – V
विविध उपबंध

क 14. आदेशों एवं व्यवहार निर्देशों का निर्गम

14.1 अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विषयों पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश एवं अभ्यास दिशानिर्देश (Practice Directions) जारी कर सकता है, जिन पर इन विनियमों के अनुसार आयोग को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है, तथा उनसे संबंधित या सहायक विषयों पर भी।

14.2 इन विनियमों में निहित किसी अन्य उपबंध के बावजूद, आयोग को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं संज्ञान लेकर या किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा दायर याचिका पर, किसी भी आवेदक का दर (tariff) निर्धारण कर सके।

क 15. निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति

15.1 राज्य भार संचरण केंद्र (State Load Despatch Centre) अधिकतम अर्थव्यवस्था और दक्षता प्राप्ति हेतु विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है तथा आवश्यक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है, और हर लाइसेंसधारक, उत्पादक कंपनी (Generating Company), उपकेंद्र (sub-station) तथा विद्युत प्रणाली से संबद्ध कोई अन्य व्यक्ति ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

15.2 यदि कोई संचरण लाइसेंसधारक जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उस पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अनुसार दंड (penalty) लगाया जाएगा।

क 16. विवाद निवारण

16.1 किसी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2024 के अनुरूप, जो समय-समय पर संशोधित या वैधानिक रूप से पुनः प्रवर्तित किए जा सकते हैं, के तहत विवाद के निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

क 17. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17.1 यदि इस विनियमन के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संचरण लाइसेंसधारक(ओं) को उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी कर सकता है, बशर्ते कि वह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हो; और जो आयोग के मत में उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयोगी प्रतीत होता हो।

17.2 संचरण लाइसेंसधारक आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न किसी भी कठिनाई को दूर करने हेतु उपयुक्त आदेश प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।

क 18. शिथिलीकरण की शक्ति

18.1 आयोग लोकहित में तथा लिखित रूप में अभिलेखित कारणों के आधार पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है।

क 19. व्याख्या

19.1 यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

क 20. आयोग की अंतर्निहित शक्तियों का संरक्षण

20.1 इन विनियमों में निहित कोई भी प्रावधान आयोग की उन अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करेगा, जिनके अंतर्गत आयोग किसी प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार रखता है, जो इन

विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न (at variance) हो, यदि आयोग, प्रकरण या प्रकरणों की किसी विशेष परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तथा लिखित रूप में अभिलेखित कारणों के आधार पर, यह आवश्यक अथवा उपयुक्त समझता है कि इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया से अलग प्रक्रिया अपनाई जाए।

A 21. जांच और अन्वेषण

21.1 इन विनियमों के तहत सभी जांच, अन्वेषण और निर्णय आयोग द्वारा झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, तथा समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के अनुरूप कार्यवाही के माध्यम से की जाएंगी।

क 22. संशोधन की शक्ति

22.1 आयोग समय-समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, संशोधित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या निरस्त कर सकता है।

क 23. संरक्षण

23.1 इन विनियमों में निहित कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो आयोग की इस अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करे कि वह न्यायसंगत परिणाम प्राप्त करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके।

23.2 इन विनियमों में निहित कोई भी उपबंध आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग किसी प्रकरण या प्रकरणों की किसी श्रेणी की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, तथा लिखित रूप में अभिलेखित कारणों के आधार पर, यह आवश्यक या उपयुक्त समझे कि ऐसे प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी से निपटने हेतु भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाए।

23.3 इन विनियमों में निहित कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से आयोग को किसी ऐसे मामले से निपटने या अधिनियम के अंतर्गत ऐसी शक्ति का उपयोग करने से रोके जिसके लिए कोई विनियम बनाए नहीं गए हैं, और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से निपटने के लिए अपने विचारानुसार उपयुक्त तरीका अपना सकेगा।

क 24.समयसीमा का सारांश

क्र.सं.	विवरण	**याचिका** दाखिल करने की तिथि	आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना	**याचिका** का निपटान
1.	नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना और नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्षीय दर (MYT) याचिका, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के लिए रिटेल और व्हीलिंग दर शामिल हैं।	30 नवंबर, 2025	जानकारी के संबंध में पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर	आवेदन स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर
2.	पिछले वर्ष के लिए समंजन (ट्रू-अप), वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, और नियंत्रण अवधि के अगले वर्ष के लिए वार्षिक आवश्यक राजस्व वसूली (ARR) एवं दर निर्धारण	जिस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR) मांगी गई हो, उस वर्ष की 30 नवम्बर	जानकारी के संबंध में पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर	आवेदन स्वीकार होने के 120 दिनों के भीतर

परिशिष्ट-I: मूल्यह्रास अनुसूची

संपत्ति विवरण	सीधी रेखा मूल्यह्रास(%)
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.00
पट्टे के अधीन भूमि	
जमीन में निवेश के लिए	2.67
साइट साफ़ करने की लागत के लिए	2.67
नई खरीदी गई संपत्तियां:	
भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
कार्यालय और शोरूम	2.67
अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के ढांचे	100.00
कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	2.67
अन्य	2.67
ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (प्लांट नींव सहित)	
100 केवीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फ़ाउंडेशन सहित ट्रांसफ़ॉर्मर	4.22
अन्य	4.22
स्विच गियर, केबल कनेक्शन सहित	4.22
बिजली रोकने वाले	
स्टेशन टाइप	4.22
पोल टाइप	4.22
तुल्यकालिक संघनित्र	4.22
बैटरियाँ	12.77
संयुक्त बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	4.22
केबल और डक्ट सिस्टम	4.22
केबल समर्थन सहित ओवरहेड लाइनें	
66 केवी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22
13.2 केवी से अधिक, लेकिन 66 केवी से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट पर चलने वाली लाइनें	4.22
स्टील या प्रबलित कंक्रीट समर्थन पर लाइनें	4.22
उपचारित लकड़ी के आधार पर रेखाएँ	4.22
मीटर	12.77
स्व-चालित वाहन	12.77
एयरकंडीशनिंग संयंत्र	
स्थिर	4.22
पोर्टेबल	7.60
फर्नीचर और साज-सज्जा	
कार्यालय फर्नीचर और साज-सज्जा	6.33
कार्यालय उपकरण	6.33
फिटिंग और उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग	6.33
स्ट्रीट लाइट फिटिंग	6.33

उपकरण किराए पर दिए गए	
संपत्ति विवरण	सीधी रेखा मूल्यह्रास(%)
मोटरों के अलावा अन्य	7.60
मोटर	4.22
संचार उपकरण	
रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणालियाँ	6.33
टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	6.33
आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर	15.00
कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर कवर नहीं की गई है	4.22 (या जैसे कि आयोग द्वारा परिसंपत्ति आयु और अपशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया हो)

परिशिष्ट – II संचरण प्रणाली उपलब्धता गुणक (**Transmission System Availability Factor)** की मासिक गणना की प्रक्रिया

1. **संचरण प्रणाली उपलब्धता गुणक** (TAFM) **का किसी भी माह** (nth calendar month) **के लिए निर्धारण संबंधित संचरण लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य भार संचरण केंद्र** (SLDC) **द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाएगा। यह गणना ए.सी.** (AC) **तथा एच.वी.डी.सी.** (HVDC) **संचरण प्रणालियों के लिए पृथक रूप से की जाएगी तथा संचरण शुल्क के साझा करने के अनुसार समूहीकृत की जाएगी।**TAFM **की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:**

(i) **ए.सी. संचरण रेखाएँ** (AC transmission lines): **प्रत्येक ए.सी. संचरण रेखा की एक परिपथ** (circuit) **को एक तत्व** (element) **के रूप में माना जाएगा।**

(ii) **अंतर्संयोजक परिवर्ति त्र** (Inter-Connecting Transformers - ICTs)**/ट्रांसफॉर्मर:**

प्रत्येक ICT **बैंक/ट्रांसफॉर्मर (तीन एकल-चरणीय ट्रांसफॉर्मरों का समूह) को एक तत्व माना जाएगा।**

(iii) **स्थिर वार प्रतिपूरक** (Static VAR Compensator - SVC): SVC **को उसके** SVC **ट्रांसफॉर्मर सहित एक तत्व के रूप में माना जाएगा।**

(iv) **बस रिएक्टर/स्विच योग्य लाइन रिएक्टर** (Bus Reactors/Switchable Line Reactors): **प्रत्येक बस रिएक्टर अथवा स्विच योग्य लाइन रिएक्टर को एक तत्व माना जाएगा।**

(v) HVDC **द्विध्रुवी लिंक** (HVDC Bi-pole links): HVDC **लिंक के प्रत्येक ध्रुव** (pole) **को, दोनों सिरों पर स्थित सम्बद्ध उपकरणों सहित, एक तत्व माना जाएगा।**

(vi) HVDC **बैक-टू-बैक स्टेशन** (HVDC Back-to-Back Station): HVDC **बैक-टू-बैक स्टेशन के प्रत्येक ब्लॉक को एक तत्व माना जाएगा। यदि संबंधित ए.सी. लाइन (जो** HVDC **बैक-टू-बैक स्टेशन के माध्यम से अंतःक्षेत्रीय शक्ति अंतरण हेतु आवश्यक है)**

उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित HVDC **बैक-टू-बैक स्टेशन ब्लॉक को भी अनुपलब्ध माना जाएगा।**

(vii) **स्थिर समकालिक प्रतिपूरण (**Static Synchronous Compensation – STATCOM):

प्रत्येक STATCOM **को एक पृथक तत्व के रूप में माना जाएगा।**

2. संचरण प्रणाली के एसी और एचवीडीसी भाग की उपलब्धता की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी:

% TAFM एसी प्रणाली के लिए

$$[\{(o \times AV_o)+ (p \times AV_p)+ (q \times AV_q)+ (r \times AV_r)+ (u \times AV_u)\} / (o + p + q + r + u)] \times 100$$

जहाँ

o = एसी लाइनों की कुल संख्या।

AVo = o संख्या की एसी लाइनों की उपलब्धता।

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाइन रिएक्टरों की कुल संख्या।

AVp = p संख्या के बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाइन रिएक्टरों की उपलब्धता।

q = आईसीटी/ट्रांसफार्मर की कुल संख्या।

AVq = q संख्या के आईसीटी/ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता।

r = एसवीसी की कुल संख्या।

AVr = r संख्या के एसवीसी की उपलब्धता।

u = स्टैटकॉम (STATCOM) की कुल संख्या।

AVu = u संख्या के स्टैटकॉम की उपलब्धता।

%TAFM एचवीडीसी प्रणाली के लिए:

$$= \frac{\sum_{x=1}^{s} Cxbp(act) \, X \, AVxbp + \sum_{y=1}^{t} Cy(act)btb \, X \, AVybtb}{\sum_{x=1}^{s} Cxbp + \sum_{y=1}^{t} Cybtb} \, x \, 100$$

जहाँ

Cxbp(act) = xवें एचवीडीसी पोल की कुल वास्तविक परिचालित क्षमता

Cxbp = xवें एचवीडीसी पोल की कुल रेटेड क्षमता

AVxbp = xवें एचवीडीसी पोल की उपलब्धता

Cybtb(act) = yवें एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन ब्लॉक की कुल वास्तविक परिचालित क्षमता

Cybtb = yवें एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन ब्लॉक की कुल रेटेड क्षमता

AVybtb = yवें एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन ब्लॉक की उपलब्धता

s = एचवीडीसी पोल की कुल संख्या

t = एचवीडीसी बैक-टू-बैक ब्लॉकों की कुल संख्या

3. प्रत्येक श्रेणी के संचरण अवयवों की उपलब्धता की गणना भारांक कारक, विचाराधीन कुल घंटों तथा उस श्रेणी के प्रत्येक अवयव के अनुपलब्ध घंटों के आधार पर की जाएगी।
प्रत्येक श्रेणी के संचरण अवयवों की उपलब्धता की गणना परिशिष्ट-III के अनुसार की जाएगी।
प्रत्येक श्रेणी के संचरण अवयवों के लिए भारांक कारक निम्नलिखित होंगे:

क. प्रत्येक एसी लाइन के सर्किट के लिए – लाइन में उप-चालकों की संख्या × सर्किट-किलोमीटर (cktkm)

ख. प्रत्येक एचवीडीसी पोल के लिए – रेटेड मेगावाट क्षमता × सर्किट-किलोमीटर (ckt-km)

ग. प्रत्येक आईसीटी बैंक/ट्रांसफार्मर के लिए – रेटेड मेगावोल्ट-एम्पीयर (MVA) क्षमता

घ. एसवीसी के लिए – रेटेड मेगावोल्ट-एम्पीयर-रीऐक्टिव (MVAR) क्षमता (प्रेरक और धारक दोनों)

ङ. बस रिएक्टर/स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए – रेटेड मेगावोल्ट-एम्पीयर-रीऐक्टिव (MVAR) क्षमता

च. दो क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ने वाले एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन के लिए – प्रत्येक ब्लॉक की रेटेड मेगावाट (MW) क्षमता

4. निम्नलिखित कारणों से आउटेज पर रहने वाले संचरण अवयवों को उपलब्ध माना जाएगा:

(a) किसी अन्य संचरण योजना के अवयवों के रखरखाव या निर्माण के लिए ली गई शटडाउन अवधि।

यदि अन्य संचरण योजना उसी संचरण अनुज्ञापत्र धारक (Transmission Licensee) की है, तो एसएलडीसी (SLDC) कार्य की प्रकृति को देखते हुए उचित समझी गई अवधि तक अनुमानित उपलब्धता की अवधि को सीमित कर सकता है।

(b) एसएलडीसी के निर्देशानुसार ओवर वोल्टेज को सीमित करने हेतु संचरण लाइन का स्विच ऑफ किया जाना तथा स्विच किए गए रिएक्टरों का मैनुअल ट्रिपिंग किया जाना।

5. निम्नलिखित आकस्मिक परिस्थितियों (contingencies) के लिए संचरण अवयवों की आउटेज अवधि को विचाराधीन अवधि में उस अवयव की कुल अवधि से बाहर रखा जाएगा।

(a)ऐसी फोर्स मेज्योर (Force Majeure) घटनाओं जैसे युद्ध, हड़ताल, दंगा, बाढ़, भूकंप आदि, जो संचरण अनुज्ञापत्र धारक (Transmission Licensee) के नियंत्रण से बाहर हों, के कारण अवयवों का आउटेज होना। हालाँकि, यह दायित्व संचरण अनुज्ञापत्र धारक का होगा कि वह एसएलडीसी (SLDC) को संतुष्ट करे कि अवयव का आउटेज उपर्युक्त घटनाओं के कारण हुआ था, न कि डिज़ाइन विफलता के कारण। एसएलडीसी द्वारा उस अवयव के लिए एक युक्तिसंगत पुनःस्थापन (restoration) समय को माना जाएगा, और यदि संचरण अनुज्ञापत्र धारक द्वारा अवयव की पुनःस्थापना के लिए युक्तिसंगत समय से अधिक

समय लिया जाता है, तो अतिरिक्त समय को संचरण अनुज्ञापत्र धारक के लिए उत्तरदायी आउटेज समय माना जाएगा।

एसएलडीसी युक्तिसंगत पुनःस्थापन समय के आकलन के लिए संचरण अनुज्ञापत्र धारक या किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है।

ईआरएस (Emergency Restoration System) के माध्यम से पुनःस्थापित सर्किटों को उपलब्ध माना जाएगा।

(b) ग्रिड घटना/विक्षोभ (incident/disturbance) के कारण उत्पन्न आउटेज, जो संचरण अनुज्ञापत्र धारक को उत्तरदायी नहीं हैं, जैसे कि अन्य एजेंसी के स्वामित्व वाले उपकेंद्रों या बे में हुई दोष स्थिति जिसके कारण संचरण अनुज्ञापत्र धारक के अवयवों का आउटेज हुआ या ग्रिड विक्षोभ के चलते लाइनों, आईसीटी आदि का ट्रिप होना।

हालाँकि, यदि एसएलडीसी से प्रणाली सामान्य करने के लिए निर्देश प्राप्त होने के बाद, युक्तिसंगत समय के भीतर अवयव पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो एसएलडीसी द्वारा पुनःस्थापन हेतु निर्देश जारी किए जाने के बाद की अवधि के लिए अवयव को अनुपलब्ध माना जाएगा।

6. संचरण प्रणाली की उपलब्धता के प्रमाणन के लिए समय-सीमा:

एसएलडीसी (SLDC) द्वारा उपलब्धता प्रमाणन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का पालन किया जाएगा:

- संचरण अनुज्ञापत्र धारकों (Transmission Licensees) द्वारा आउटेज डेटा का एसएलडीसी को प्रस्तुतिकरण – अगले माह की 5 तारीख तक;
- एसएलडीसी द्वारा आउटेज डेटा की समीक्षा – माह की 20 तारीख तक;
- एसएलडीसी द्वारा उपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करना – अगले माह की 3 तारीख तक।

परिशिष्ट-III: प्रत्येक श्रेणी के संचरण अवयवों की उपलब्धता की गणना के सूत्र

For AC transmission system

AVo(Availability of o no. of AC lines) = $\frac{\sum_{i=1}^{o} Wi(Ti - TNAi)/Ti}{\sum_{i=1}^{o} Wi}$

AVq(Availability of q no. of ICTs) / Transformer = $\frac{\sum_{k=1}^{q} Wk(Tk - TNAk)/Tk}{\sum_{k=1}^{q} Wk}$

AVr(Availability of r no. of SVCs) = $\frac{\sum_{l=1}^{r} Wl(Tl - TNAl)/Tl}{\sum_{l=1}^{r} Wl}$

AVp(Availability of p no. of Switched Bus reactors) = $\frac{\sum_{m=1}^{p} Wm(Tm - TNAm)/Tm}{\sum_{m=1}^{p} Wm}$

AVu(Availability of u no. of STATCOMs) = $\frac{\sum_{n=1}^{u} Wn(Tn - TNAn)/Tn}{\sum_{n=1}^{u} Wn}$

AV_{xbp}(Availability of an individual HVDC pole) = $\frac{(Tx - TN\quad)}{Tx}$

AV_{ybtb} (Availability of an individualHVDC Back-to-back Blocks) $= \frac{(Ty - TNAy)}{Ty}$

For HVDC transmission system

For the new HVDC commissioned but not completed twelve months;

For first 12 months: [(AV_{xbp} or AV_{ybtb})x95%/85%], subject to ceiling of 95%.

Where
,

o = एसी लाइनों की कुल संख्या;
AVo = o संख्या की एसी लाइनों की उपलब्धता;

p = बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाइन रिएक्टरों की कुल संख्या;
AVp = p संख्या के बस रिएक्टरों/स्विचेबल लाइन रिएक्टरों की उपलब्धता;

q = आईसीटी/ट्रांसफार्मरों की कुल संख्या;
AVq = q संख्या के आईसीटी/ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता;

r = एसवीसी की कुल संख्या;
AVr = r संख्या के एसवीसी की उपलब्धता;

u = स्टैटकॉम (STATCOM) की कुल संख्या;

Wi = iवीं संचरण लाइन का भारांक कारक;
Wk = kवें आईसीटी/ट्रांसफार्मर का भारांक कारक;
Wl = lवें एसवीसी के प्रेरक और धारक संचालन के लिए भारांक कारक;
Wm = mवें बस रिएक्टर का भारांक कारक;
Wn = nवें स्टैटकॉम का भारांक कारक।

Ti, Tk, Tl, Tm, Tn, Tx, Ty
विचाराधीन अवधि के दौरान iवीं एसी लाइन, kवें आईसीटी/ट्रांसफार्मर, lवें एसवीसी, mवें स्विच्ड बस रिएक्टर, nवें स्टैटकॉम, xवें एचवीडीसी पोल और yवें एचवीडीसी बैक-टू-बैक ब्लॉक के कुल घंटे (उन आउटेज अवधियों को छोड़कर जो संचरण अनुज्ञापत्र धारक से संबंधित नहीं हैं, जैसा कि प्रक्रिया के पैरा 5 में उल्लेखित कारणों के अनुसार)।

TNAi, TNAk, TNAl, TNAm, TNAn, TNAx, TNAy
l वीं एसी लाइन, k वें आईसीटी/ट्रांसफार्मर, l वें एसवीसी, m वें स्विच्ड बस रिएक्टर, n वें स्टैटकॉम, x वें एचवीडीसी पोल और y वें एचवीडीसी बैक-टू-बैक ब्लॉक के अनुपलब्धता घंटे (उन आउटेज अवधियों को छोड़कर जिन्हें संचरण अनुज्ञापत्र धारक के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है और जिन्हें प्रक्रिया के पैरा 5 के अनुसार अनुमानित उपलब्धता के रूप में लिया गया है)।

इस "झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (संचरण शुल्क के निर्धारण की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2025" के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जायेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
आर.पी. नायक
सचिव।
झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 34 - 50